संघर्ष संवाद

मार्च 2016 **नई दिल्ली**

आज पूरे देश में राष्ट्र प्रेम साबित करने की एक लहर चल रही है। हर व्यक्ति की देश-भक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना कसौटी पर है और यह कसौटी तय कर रही है हिंदूवादी राजनीति करने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और इसमें साथ दे रही है मोदी सरकार। नई दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों को तथाकथित राष्ट्रविरोधी नारे लगाने के आरोप में, जिसे भी साबित नहीं किया जा सका, देश-द्रोह की धारा में जेल में डाल दिया जाना देश में फासीवाद की दस्तक को आवाज दे रहा है।

आज हमारे देश की आम जनता तबाही और बर्बादी से गुजर रही है। सभी के लिए अनाज पैदा करने वाला किसान आज खुद आत्महत्या करने को मजबूर है। अपने हाथों से सड़क से लेकर हवाई जहाज बनाने वाले मजदूर के लिए अपने परिवार को दो वक्त की रोटी खिला पाना मुश्किल हो रहा है। आदिवासी तथाकथित विकास की बयार में अपने जल-जंगल-जमीन से लगातार विस्थापित हो रहे हैं। और यह सबकुछ हो रहा है चंद पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए बन रही सरकारी नीतियों की वजह से । किसानों से उनकी जमीनें उद्योगपतियों से छीनी जा रही है। कुछ राज्य सरकारों ने अपने भूमि अधिग्रहण कानून बना लिए हैं। मोदी सरकार भी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव करने को आतुर है। किसान समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार से वह किस कानून के तहत लड़े। भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसी भ्रम की स्थिति का फायदा उठाकर कॉर्पोरेट द्वारा जमीन की लूट जारी है।

और इन तमाम शोषण/उत्पीड़नों के खिलाफ उठने वाली हर आवाज आज देशद्रोही करार दी जा रही है और असहमति के हर स्वर को दबाया जा रहा है । पूंजी की लूट बदस्तूर जारी रहे।

हमारी लड़ाई न सिर्फ इस लूट के खिलाफ है बल्कि देश-प्रेम के नाम पर आम जनता के बीच भ्रम फैलाकर उनको बांटने की इस फासीवादी नीति के खिलाफ भी है।

इंकलाब जिंदाबाद !

ओडिशा
- खण्डधार पहाड़ियों-झरनों को कॉरपोरेट से बचाने की लड़ाई तेज
- नियामगिरि पर्व: फिर से दोहराया संघर्ष का संकल्प
- नियामगिरि के आदिवासियों का वन्य भूमि का अधिकार छीनने पर आमादा ओडिशा सरकार
- रिसोर्ट परियोजनाऑ के विरोध में स्थानीय लोग लामबंद
- विस्थापितों के सपनों की हत्यारी है राउरकेला फैक्ट्री

दिल्ली
- भूमि लूट के खिलाफ़ : किसान-मजदूर, आदिवासियों की महारैली
- रोहित की हत्या के विरोध में प्रतिरोध मार्च
- तीन रंग वाली आज़ादी: जेएनयू, देशद्रोह और संघी हिंसा

उत्तर प्रदेश
- अकाल से वीरान होता बुंदेलखंड

झारखण्ड
- देशद्रोह के मुकदमे झारखंड के आदिवासियों पर सबसे ज्यादा

छत्तीसगढ़
- छत्तीसगढ़ सरकार ने वन भूमि पर आदिवासी अधिकार रद्द किया

मध्य प्रदेश
- नई फसल बीमा योजना किसानों के साथ छलावा है: डॉ सुनीलम
- राष्ट्रपति से मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने की संरक्षण या मौत का रास्ता बताने की अपील
- मिल रहा है जमीन का अधिकार : संघर्ष के आगे झुकी सरकार

राजस्थान
- भूमि अधिकार आंदोलन राजस्थान का सम्मलेन संपन्न
- टपूकेडा होंडा में दोहराया होंडा 2005 का दमन
- डाक्यूमेंट्री के माध्यम से कर रहे हैं किसानों को जागरूक
- गांव वालों की कोई सुनने वाला नहीं : कब मिलेगा न्याय

हिमाचल प्रदेश
- सिरसा नदी में न प्राण बचे और न प्राणी : औद्योगिक कचरे ने किया नदी को जहरीला

उत्तराखंड
- जिंदल, नैनीसार की जमीन और जन आक्रोश
- उत्तराखंड जन आंदोलनों की धरती है और इस परंपरा का निर्वाह निरंतर जारी है
- पी. सी. तिवारी का हरीश रावत को जेल से खुला पत्र

ओडिशा

खण्डाधार पहाड़ियों-झरनों को कॉरपोरेट से बचाने की लड़ाई तेज

बीती 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली से समूचे देश को गणतंत्र का पाठ पढा रहे थे, ठीक उसी वक्त करीब 1500 किलोमीटर दूर इस तंत्र से खुद को बचाने के लिए कुछ लोग सत्याग्रह पर बैठने को मजबूर थे। ओडिशा के सुदंरगढ़ जिले में स्थित खंडाधार जलप्रपात व खंडाधार की पहाड़ियों को खनन के लिए कॉरपोरेट घरानों के हाथों नीलाम करने की भारत सरकार की कोशिशों के विरोध में यहां एक ऐसा मोर्चा आकार ले रहा था, जिसमें हालिया अतीत के कुछ कामयाब जनांदोलनों के नायक भी मौजूद थे। जगतसिंहपुर से पोस्को और नियमगिरि से वेदांता को भगाने वाले तमाम जुझारू चेहरे 26 जनवरी को खंडाधार जलप्रपात के नीचे एक तम्बू में इस संकल्प के साथ इकट्ठा हुए थे कि जल, जंगल और ज़मीन की लूट अब और नहीं सही जाएगी। दो दिन बाद 28 जनवरी को दिन में 12 बजे जब इलाके के आंदोलनों के परिचित नायक व स्थानीय विधायक (स्वतंत्र) जॉर्ज तिर्की ने सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में सत्याग्रह पर बैठे आंदोलनकारी प्रफुल्ल सामंत रे को संतरे का जूस पिलाकर अनशन तुड़वाने की औपचारिकता पूरी की, तब इस सुदूर आदिवासी अंचल में चमकते टीवी कैमरों ने गवाही दे डाली कि आने वाले वक्त में जल, जंगल और ज़मीन की जंग का केंद्र खंडाधार बनने वाला है। क्या है खंडधार की लड़ाई, यहां क्या, किसका और कैसे दांव पर है, इसे जानने के लिए पढ़ें यह विस्तृत रिपोर्ट।

ओडीशा सरकार ने 2005 में दक्षिण कोरिया के एक स्टील कंपनी, पॉस्को के साथ एक अनुबंध किया था जिसमें उसने पॉस्को को सुंदरगढ़ जिले में *खंडाधार* पहाड़ियों में स्थित लौह अयस्क के खदान आवंटित कर दिए थे। तभी से इस क्षेत्र के पौडीभूयन समेत सभी आदिवासी खण्डधार में खनन का विरोध कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने पॉस्को के लिए खनन निरस्त कर दिया और उसे नए एमएमडीआर अधिनियम के तहत नीलामी के लिए रख दिया है। अब यह क्षेत्र लीज़ पर सभी खनन कंपनियों के लिए खुला है। आदिवासी, दलित तथा अन्य वनवासी इस पारिस्थितिक तौर पर संवेदनशील क्षेत्र में खनन का विरोध कर रहे हैं। आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री जुअल ओरम ने अपनी बात को फिर दुहराते हुए कहा कि क्षेत्र के पर्यावरण तथा पारिस्थितिक की सुरक्षा के लिए *खंडाधार* पहाड़ियों में और उसके चारों तरफ लौह अयस्क के खनन को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। किंतु वर्तमान भाजपा नीत राजग सरकार इस क्षेत्र को बिना ग्राम सभाओं की सहमति लिए कंपनियों के समक्ष नीलामी के लिए रख रही है।

खण्डधार पौडीभुयन और अन्य आदिवासियों, दलितों का है। यह झरना ब्राह्मनी नदी को पानी देता है। वन भूमि पर समुदाय के दावे के साथ-साथ अन्य व्यक्तिगत दावों को वन अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता नहीं दी गई। अब वक्त आ गया है कि सरकार से *खंडाधार* को खनन मुक्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की हमारी जनवादी लड़ाई को पूरे देश के जनसंगठनों एवं जन संघर्षों से एकजुटता प्राप्त हो। खडधार में होने वाला खनन, *खण्डाधार* के हजारों आदिवासियों के जीवन और आजीविका नष्ट कर देगा।

देशी विदेशी 120 कंपनियों के ऑफर को नकारते हुए दक्षिण कोरिया की पोहांग स्टील कंपनी

(पोस्को) के साथ ओडिशा सरकार ने जून 2005 में जिस मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैडिंग पर हस्ताक्षर किये हैं, उस प्रोजेक्ट में 51000 करोड़ रूपये का निवेश पोस्को कंपनी करेगी। भारत में अभी तक का यह सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4004 एकड़ में स्टील प्लांट, 2000 एकड़ में टाउनशिप, 13000 एकड़ में माइनिंग, भुवनेश्वर शहर में 25 एकड़ में कंपनी का कार्यालय, महानदी नदी से लगभग 15000 करोड़ लीटर पानी लेने की व्यवस्था, कैपटिव कोल माइंस (मात्रा अज्ञात), पारादीप बंदरगाह प्रस्तावित है। रेलवे, रोड आदि में भी हज़ारों एकड़ ज़मीन उपयोग में लायी जायेगी।

कंपनी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सरकार एवं कंपनी का दावा है कि पोस्को कंपनी के इस प्रोजेक्ट से लगभग 13000 लोगों को सीधे तौर पर और 35000 लोगों को अन्य तरीकों से रोज़गार मिलेगा। इस तरह के पिछले दौर के दावों की असलियत से लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं।

इस प्रोजेक्ट के केवल स्टील प्लांट से तीन पंचायतों ढिंकिया, नुआगांव एवं गोविंदपुर के 11 गांव विस्थापित होंगे, जिससे सीधे तौर पर लगभग 4000 परिवारों की 30000 आबादी चपेट में आयेगी। जटाधार पर प्रस्तावित पोर्ट से लगभग 20,000 लोग विस्थापित होंगे।

सुंदरगढ़ एवं क्योंझर की सीमा पर स्थित 8 पंचायतों के लगभग 50 गांव, जो *खंडाधार* पहाड़ियों के 10 किमी की सीमा में स्थित हैं इस प्रोजेक्ट की माइनिंग जो 6000 हेक्टेयर में होगी, से प्रभावित होंगे। जिसमें तालबहाली, कुलीफोस, फुलजर, हलदी कुदाई, सेसकेकला, भोतुडा, खुटेंगा और कोइडा पंचायतें शामिल हैं। कटक के जोबरा महानदी बैराज से कंपनी पानी लेगी जिससे पीने के पानी के संकट से जूझ रहे कटक तथा भुवनेश्वर शहरों में पानी का संकट और गहरायेगा साथ ही साथ जगतसिंहपुर, केन्द्रपाड़ा, जसपुर, पुरी जिलों में सिंचाई के पानी का अभाव हो जायेगा। जटाधार मुहाने पर प्रस्तावित पोर्ट से नदी का प्रवाह बाधित होगा, नदी में सिल्ट इकट्ठा होगा, जल जमाव होगा, बाढ़ के खतरे बढ़ जायेंगे, तटीय क्षेत्रों के वन नष्ट हो जायेंगे जिससे समुद्री साइक्लोन के खतरे बढ़ जायेंगे, पारादीप स्थित पोर्ट नष्ट हो जायेगा।

पोस्को विरोधी आंदोलन की शुरूआत एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर होने (22 जून 2005) के बाद जगतसिंहपुर जिले की कुजंग ब्लाक की तीन पंचायतों ढिंकिया, नुवागाँव तथा गढ़कुजंग जो पोस्को कंपनी के प्लांट की वजह से प्रभावित होने जा रहे थे के निवासियों की तरफ से 'पोस्को क्षतिग्रस्त संघर्ष समिति'(पी.के.एस.एस.) नामक समिति बनाकर आरंभ हुआ।

पोस्को कंपनी की योजना के विरोध में आंदोलन पर विचार विमर्श के लिए वामपंथी दलों, सामाजिक संगठनों, पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों, पत्रकारों, अध्यापकों, मज़दूर संगठनों, अन्य राजनीतिक दलों जिसमें सी.पी.आई. महासचिव का. ए.बी. बर्द्धन तथा सी.पी.एम. महासचिव का. प्रकाश करात भी मौजूद थे, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति (पी.पी.एस.एस.) का गठन किया गया। सीपीआई राज्य कमेटी के सदस्य का. अभय साहू जो ढिंकिया के पास के ही निवासी हैं ने इस संग्राम समिति की अगुवाई स्वीकार की।

आगे चलकर जब पोस्को क्षतिग्रस्त संघर्ष समिति के कुछ सदस्य कंपनी के पक्ष में कुछ बातें करने तथा प्रचार करने लगे तो पोस्को प्रतिरोध संघर्ष समिति ने आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ली। पोस्को विरोधी संघर्ष पी.पी.एस.एस. की अगुआई में आज भी मुस्तैदी से जारी है तथा तमाम तरह के

षडयंत्रों, हमलों का सामना करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस आंदोलन की अगुआई सी पी आई के हाथों में है परंतु कांग्रेस का एक खेमा तथा बी.जे.डी. के कुछ लोग भी इस आंदोलन के साथ डटे हैं। हालाँकि कांग्रेस, बी.जे.डी. का नेतृत्व तथा बहुमत कंपनी के ही साथ है। यहां पर माओवादी नहीं हैं।

पटना, महाड़व तथा ढिंकिया में जनता द्वारा कायम 'चेक गेट', जटाधार मुहाने पर जमा मिट्टी को जन सहयोग से हटाकर जल जमाव समाप्त करना, पुलिस फोर्स को इलाके से बाहर करवाना, स्कूलों को फोर्स से खाली करवाना, आंदोलन को एकजुट रखना, ओडिशा के लगभग सभी जन संघर्षों का समर्थन मिलना तथा धीरे धीरे क्षेत्र में कंपनी समर्थकों की तादाद कम करने जैसी कामयाबियाँ इस आंदोलन के साथ हैं।

तमाम कातिलाना हमलों, दलालों के षड्यंत्रों तथा आंदोलन के नेता का. अभय साहू की कई बार की गिरफ्तारी के बाद भी यह संघर्ष जारी है।

यह आंदोलन प्रमुखतया 4 स्थानों पर जारी है - प्लांट के खिलाफ: ढिंकिया, नुवागांव, गढ़कुजंग पंचायतों के 8 गांवों में पी.पी.एस.एस. की अगुआई में।

खंडाधार माइन्स (माइनिंग के खिलाफ): यहां पर बी.जे.पी. तथा सी.पी.आई. ज़्यादा हैं अभियान असंगठित है। बी.जे.पी. से जुड़े सरपंचों को कंपनी ने खरीद लिया है। यह पूरा पहाड़ जिसमें झरने हैं, पर्यटन स्थल हैं, 40 आदिवासी गाँव हैं उसे कंपनी को माइनिंग के लिए सरकार देने जा रही है। पी.पी.एस.एस. यहां तीसरा ग्रुप खड़ा करके आंदोलन को संगठित करने के प्रयास में लगा है।

जोबरा महानदी बैराज से कंपनी को पानी देने के खिलाफ संघर्ष (पानी के कब्ज़े के खिलाफ): इससे कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रपाड़ा, जसपुर, पुरी तथा भुवनेश्वर प्रभावित होंगे। कटक में जल सुरक्षा समिति का गठन जिसमें सी.पी.आई., सोशलिस्ट शामिल हैं। परंतु अन्य जिलों में अभी इस तरह की समितियाँ नहीं बन पायी हैं। अभी इन जिलों के किसानों को संगठित करना है।

जटाधार बचाओ (पोर्ट के खिलाफ) : यहां पर भी आंदोलन में सी.पी.आई. अगुआई में है- कांग्रेस के लोग भी हैं। पोर्ट बनने से समुद्र का मुहाना बंद हो जायेगा। तीस हज़ार मछुआरे तथा किसान प्रभावित होंगे। 30 गांवों में कमेटियाँ बन गयी हैं। धरना प्रदर्शन जारी है परंतु बहुत सक्रिय प्रतिरोध-विरोध नहीं हो पा रहा है।

असलियत यह है कि लोग अभी भी इस संयंत्र का जोरदार विरोध कर रहे हैं। भारी दमन के बावजूद आंदोलन जारी है।

अब सरकार तथा पोस्को द्वारा स्टील प्लांट की क्षमता को 12 एमटी से 8 एमटी कर देना इसके लिए 4004 एकड़ भूमि की जरूरत को घटा कर 2700 एकड़ करना, इसी कड़ी में ताजा कदम है। सरकार कह रही है कि वह पोस्को के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं करेगी। प्लांट के साइज को कम करना तथा निजी भूमि का अधिग्रहण न करना, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि इसमें अभी भी बड़ी मात्रा में सरकारी जमीन का हथियाया जाना शामिल है। जिस पर गांव वालों का वनाधिकार कानून] 2006 के तहत कानूनी अधिकार है। स्थानीय लोग सरकार तथा पोस्को की इस चतुरता को अच्छी तरह से जानते हैं कि वह उपजाऊ कृषि भूमि को धीरे-धीरे हथियाकर आत्मनिर्भरता तथा टिकाऊ अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देंगे। प्रशासन बीते सालों में एक एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी नहीं कर पाया है और ना ही कर पायेगा।

नियामगिरि पर्व : फिर से दोहराया संघर्ष का संकल्प

ओडिसा के कालाहाण्डी जिले का लाँजीगढ़ ब्लाक भारतीय संविधान के तहत विशेष संरक्षण प्राप्त अनुसूचित क्षेत्रों में आता है। इसी स्थान पर वेदांता कंपनी ने अपना अलमुनाई प्लांट लगा रखा है और इसी क्षेत्र में स्थित नियामगिरि पहाड़ के बेशकीमती बाक्साइट पर उसकी ललचाई निगाहें लगी हुई हैं। स्थानीय ग्रामवासी, आदिवासी अपनी जमीन,जंगल, नदी, झरने, पहाड़ बचाने की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं। नियामगिरि सुरक्षा समिति, सचेतन नागरिक मंच, लैण्ड लूजर्स एसोसिएशन जैसे स्थानीय संगठनों के साथ ही साथ समाजवादी जन-परिषद के कार्यकर्ता-नेता इस संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

हर साल की तरह इस साल भी फरवरी माह के अंतिम शुक्रवार, शनिवार, रविवार 26 से 28 फरवरी 2016 को आमला भाटा में हजारों आदिवासी नियामगिरि पर्व पर एकत्रित हुए और वेदांता के विरोध में संघर्ष का संकल्प दोहराया।

लिदो सिकाको ने बताया कि पहला तो जीव जगत के लिए मिट्टी पानी और हवा भोजन इनकी बहुत ही आवश्यकता है। मूल आधार जल-जंगल-जमीन को छोड़कर कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। हर जीव-जगत इस पर निर्भर है। किसी के लिए यह सिर्फ मुनाफे की वस्तु हो सकते हैं, किंतु किसी के लिए यह अमूल्य संपदा है। किसी के लिए पत्थर है तो किसी के लिए भगवान है। कोई इसे क्या कहे या ना कहे यह हमारे लिए सृष्टिकर्ता, जीवनदाता, भाग्यविधाता और इष्ट देव हैं। इसलिए सदा प्रेम भक्ति हमारे अंदर है। ऐसा है कि एक को छोड़कर दूसरा बच नहीं सकता है।

इनका एक दूसरे के बीच गहरा रिश्ता रहा है इसलिए परंपरागत और धार्मिक विश्वास की वजह से हमारे प्रकृति की रानी धरती मां (धरनी पेनू) और प्रकृति के राजा नियाम राजा को बहुत दिनों से पूजते आ रहे हैं।

लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कॉर्पोरेट दलाल नवीन सरकार एवं मुनाफ़ाखोर वेंदाता कंपनी हमारी खुशी को सहन नहीं कर पा रही है। हमारे मौलिक अधिकार और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर भय और आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। बलपूर्वक नियामराजा को हमारे हाथ से छीनने की कोशिश की जा रही है। हम लोग पहले से ही नियामगिरी के खनिज खनन के निषेध के लिए प्रतिरोध करते आ रहे हैं। लेकिन हमारी बात को न मान कर हमारे इष्ट देवता नियामराजा, जोकि करोड़ों जनता का दाता है, के नाश के लिए चक्रव्यूह चलाया जा रहा है।

हमारी जान जाएगी लेकिन हम प्रकृति और संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। हमारी सरलता का लाभ उठा कर विकास के नाम पर हमारे उपर लूटने का जाल क्यों बिछाया जा रहा है।

पहले से ही हम लोगों ने क्रूर जन विरोधी मुनाफा खोर व्यवस्था के छल-कपट लूट, प्रलोभन, उत्पीड़न को समझ कर अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए एकजुट होकर अपने जनांदोलन को मजबूत कर रही हैं। इसके फलस्वरूप बहुत ही कष्ट से हमारे नियामराजा को मुक्ति मिली है। लेकिन यह बेशरम अराजक नवीन सरकार एवं लंपट वेंदाता कंपनी अभी भी चोरी-छुपे हमारे क्षेत्र में घुसने का रास्ता तलाश रही है। इनके सहयोग के लिए दलाल, छुटभैया नेता, धूर्त प्रशासनिक अधिकारी जनविरोधी समाजकर्मी, परजीवी बुर्जुआ बुद्धिजीवी, कंपनी के टुकड़ों पर पलने वाले दलाल अभी भी गांव में आकर विकास का सपना दिखा रहे हैं। इन सबको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

हम लोग आखिरी सांस तक न्याय और लूट के विरोध में प्रतिरोध करेंगे यह हमारी प्रतिज्ञा है। हम हर संगठन, हर व्यक्ति से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप एक बार शांत मन से निरपेक्ष विचार कीजिए कि यह लड़ाई किसके लिए है। यह डोंगरिया कौम के लिए है या मानव समाज के लिए है? यह प्रकृति एवं परिवेश डोंगरिया के लिए है या मानव समाज के लिए है?

यह लड़ाई जीवन-आजिविका, प्रकृति, परिवेश, संस्कृति एवं मानवता के जीव-जगत की सुरक्षा के लिए है। अन्य अर्थ में लूटने वाले के विरोध में मेहनतकश की लड़ाई है। जब तक हम जिंदा हैं यह लड़ाई जारी रहेगी। इसलिए हम हर संवेदनशील जनवादी संगठन से अपील करते हैं कि वे जिम्मेदारी से एहसास करके इस लड़ाई में शामिल हों।

जल-जंगल-जमीन की सुरक्षा के लिए संकल्प लीजिए कि कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को सफल मुकाम तक पहुंचाएंगे।

नियामगिरि के आदिवासियों का वन्य भूमि का अधिकार छीनने पर आमादा ओडिशा सरकार

ओडिशा सरकार ने बहु खनिज खनन कंपनी वेदांता की तरफ अपनी पक्षधरता स्पष्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायलय के उस फैसले को चुनौती दी है जिसके तहत अपने पारंपरिक वन्य भूमि पर खनन हो सकता है या नहीं इसके निर्णय का संवैधानिक अधिकार उस क्षेत्र के आदिवासियों को दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने आवेदन पत्र में ओडिशा सरकार ने इस बात की वकालत की है कि यदि सरकार को लगता है कि जनता के अधिकारों के साथ न्याय किया गया है तो खनन के लिए ग्राम परिषदों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

ओडिशा सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि लांजीगढ़ बॉक्साइट खनन को अस्वीकृति देने वाले ग्राम सभा के प्रस्ताव सदैव लागू नहीं रह सकते हैं। राज्य सरकार ने यह दावा किया है कि चूंकि समुदाय के वृद्ध अब नहीं रहे और युवा सदस्य मताधिकार प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे में ग्राम सभा के निर्णय का एक बार पुनः अवलोकन किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि वन्य भूमि पर खनन को अस्वीकृति करने संबंधित प्रस्ताव को पारित करने के लिए की गई ग्राम सभा की बैठकों में बहुत सी तकनीकी खामियां थीं।

ओडिशा सरकार चाहती है कि ग्राम सभा के फैसलों को किनारे रखकर इसकी नई बैठकें करवाई जाएं और आदिवासियों के निर्णय के आधार पर पर्वायरण मंत्रालय द्वारा खनन निषेध के आदेश को समाप्त किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 2013 के फैसले में यह आदेश दिया था कि डोंगरिया कोंध, कुटिया कंधा और अन्य आदिवासी समुदाय की 12 ग्राम सभाएं यह तय करेंगी कि ओडिशा के नियामगिरी पर्वतों पर उनके धार्मिक तथा अन्य अधिकार हैं कि नहीं नियामगिरी पर्वत की चोटी के नीचे लांजीगढ़ में बॉक्साइट के खनन से उनके धार्मिक अधिकार प्रभावित तो नहीं होते हैं।

न्यायालय ने कहा कि यदि प्रस्तावित खनन से आदिवासियों के अधिकारों पर किसी तरह का प्रभाव पड़ता है तो खनन के लिए अनुमति को निषिद्ध माना जाए। इस फैसले के पश्चात लगभग एक दर्जन ग्राम सभाओं ने सर्वसम्मति से वेंदाता के साथ एक संयुक्त उद्यम में ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा किए जाने वाले खनन को अस्वीकृत कर दिया। आदिवासियों की असहमति के मद्देनजर पर्यावरण मंत्रालय ने खनन को मंजूरी देने से मना कर दिया।

2014 में सत्ता में आने के बाद से ही नरेंद्र मोदी सरकार आदिवासियों की सहमति के प्रावधान से मुक्ति पाना चाहती है। किंतु सहमति के अधिकार को समाप्त करना अवैध तथा असंवैधानिक होगा जिसके लिए संसद के जरिए, सर्वोच्च न्यायलय के वेदांता फैसले की रोशनी में संशोधन की आवश्यकता होगी।

रिसॉर्ट परियोजनाओं के विरोध में स्थानीय लोग लामबंद

ओडिशा के पूरी जिले के सिपासारुबली क्षेत्र में ताज होटल ग्रुप और एमजी एमआर कम्पनी सहित 11 कंपनियां रिसोर्ट परियोजनाएं लेकर आयी है जिसके अंर्तगत इस क्षेत्र की 3500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। मार्च 25 से 26,2016 को बरहमगिरि में दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
स्थानीय लोग 2012 से उपकुलिया जमीन जंगल सुरक्षा समिति के बैनर तले संघर्षरत है।
सिपासारुबली, पुरी जिला, ओडिशा की ब्रहमगिरी तहसील के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाके में 20 से अधिक गांवों का एक मोजा है। यह पुरी से 15 किमी. दूर है और 10 किमी. में फैला लंबा समुद्र तटीय इलाका है। यहाँ करीब 15000 की आबादी है जिनमें से अधिकांश दलित हैं। यह पूरा इलाका रेतीला है।
इन लोगों ने ही इस पूरे इलाके को विकसित किया और पर्यावरण के मुताबिक यहाँ तरह-तरह के पेड़-पौधे लगाये हैं जैसे काजू, आम, ताड़ आदि। अधिकांश लोग भूमिहीन हैं। काम के लिए पुरी शहर जाते हैं और वहां जलाऊ लकड़ी बेचते हैं।
1994 में इस क्षेत्र की 214 एकड़ को अतिरिक्त जमीन निर्धारित किया गया। ओडिशा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि तुरंत यह जमीन गरीबों को वितरित की जाये और उन्हें इनके पट्टे दे दिए जाएँ। लेकिन उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं हुआ। बाद में कुछ लोगों को पट्टे तो दिए गए पर जमीन नहीं दी गयी। 1996 में सरकार ने इस जमीन को भी अपने जमीन अधिग्रहण कार्यक्रम में शामिल कर लिया।

जमीन के लिए लोगों का संघर्ष

नवंबर, 2014 में, चकबंदी कोर्ट, पुरी ने निर्णय दिया की 1307 एकड़ जमीन (ब्रहमगिरी-चिल्का तटीय बेल्ट)- बताई गयी जमीन का एक हिस्सा -जो भू-माफिया के अवैध कब्जे में था, अब उड़ीसा सरकार की है।
सिपाएक सारुबली मौजा (गोरुअल और अम्बाडा पंचायत और नजदीकी गाँव) के भूमिहीन गरीब लंबे समय से यह अपील करते चले आ रहे थे की यह जमीन उन्हें दे दी जाये। 20 गांवों का एक प्रतिनिधिमंडल हस्ताक्षरित अपील लेकर पुरी जिला कलेक्टर से भी मिला। पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि "विशेष पर्यटन क्षेत्र" को विकसित करने के मकसद से 1307 एकड़ जमीन की मेडबंदी करने की योजना बना डाली और इसे "शामुख बीच परियोजना" का नाम दिया। इस इलाके में आवश्यक आधारभूत संरचना के निर्माण की जिम्मेदारी इडको (औद्योगिक विकास निगम) को देना प्रस्तावित हुआ।
होटल, स्पा, गोल्फकोर्स, कॉम्प्लेक्स, कांफ्रेंस हॉल, इकॉनोमिक पार्क आदि इस इलाके में बनाने के लिएवैश्विक टेंडर के जरिये बहुराष्ट्रीय कंपनियों और भारतीय औद्योगिक घरानों को आमंत्रित करने की योजना बनाई गई।
इस तटीय इलाके के लोग जो भूमि और आजीविका के संकट से जूझ रहे थे, वे सरकार के इस कदम से बहुत आहत हुए। अतः चासी मुलिया संघ, पुरी जिला की पहलकदमी पर, 20 से अधिक गांवों के लोग संगठित रूप से उपकुलिया जमीन और जंगल सुरक्षा समिति के बैनर तले 11 मार्च 2012 को 1307 एकड़ जमीन की ओर भूमि माफिया को हटाने के लिए रुख किया, जिस पर दशकों से उनका कब्जा था। लोगों ने सरकार से अपील की कि उन्हें जमीन पर कानूनन हक़ दिया जाये।
निष्कासित भूमाफिया इससे खुश नहीं हुआ।3 मई 2012 को गुंडों ने घातक हथियारों से लोगों पर हमला किया। 23 मई 2012 को वे फिर हमला करने आये। सरकार ने उन हमलावर लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की।
6 जून, 2015 को जब ये लोग पट्टे की मांग को लेकर एक शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, उसी वक्त पुलिस और फ़ौज के एक बड़े दल ने संघर्ष कर रहे दलितों पर बर्बरतापूर्ण कार्यवाही की गई जिसमें 3 महिलाएं और 15 पुरुष बुरी तरह घायल हुए और 31 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 23 महिलाएं हैं। इन सभी के खिलाफ झूठे आपराधिक मामले दर्ज किये गए हैं।
07-10 जुलाई 2012 के बीच, लगभग पूरे जिला स्तरीय सिविल, राजस्व और पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल भूमि में बाड़ खडी करने की अपनी योजना को अंजाम देने के लिए आए। तबसे यहाँ रहने वाले समुदाए का संघर्ष जारी है

विस्थापितों के सपनों की हत्यारी है राउरकेला फैक्ट्री

- बरखा लकड़ा

विकास का मसीहा कहे जाने वाले पंडित जवाहर लाल नेहरू ने आजादी के बाद विकास का एक दौर चलाया। इस दौर में जितने भी आदिवासी इलाके थे सभी जगह से विकास के नाम पर भूमि का अधिग्रहण किया गया। इसमें उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले का राउरकेला भी सम्मिलित है। यहां 1955 में आदिवासियों के विकास के नाम पर राउरकेला फैक्ट्री लगाने के लिए 19,971 एकड़ जमीन ली गई, जिसमें कुछ जमीन अन्य पिछड़े वर्गों की भी है।

फैक्ट्री लगने से पहले इन विस्थापितों के काफी अरमान थे, क्योंकि जमीन CNT ACT के अनुसार अधिग्रहित नहीं हो सकती थी। जिसकी वजह से उड़ीसा सरकार द्वारा 1894 के अधिग्रहण कानून के अनुसार भी अधिग्रहति की गई थी। इतनी बड़ी कुर्बानी से लोगों को काफी उम्मीद थी किंतु इन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इन विस्थापितों को वादे के अनुसार न तो नौकरी मिली न ही खेती लायक जमीन और न ही मुआवजा। इनका पूरी तरह से पुनर्वास भी नहीं किया गया। यहां तक कि इन आदिवासियों की आस्था तक का ख्याल नहीं रखा गया। अधिग्रहण के समय 40 पूजा स्थल डूब गए। विस्थापित परिवारों में से करीब 110 परिवार तीन बार विस्थापित हुए। कभी फैक्ट्री के नाम पर तो कभी रेलवे लाईन के नाम पर तो कभी बांध के नाम पर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति के अध्यक्ष श्री रामेश्वर उरांव जी ने जब विस्थापितों की समस्या पर राउरकेला के प्रशासनिक अफसरों से सवाल किया तो उन अफसरों ने कहा कि हमारे पास वापस करने के लिए कोई जमीन नहीं है।

यदि इस संबंध में कोई कानून बनता है तो हम इस पर बात कर सकते हैं अन्यथा अभी हमारे हाथ-पैर बंधे हुए हैं। श्री रामेश्वर उरांव ने इन विस्थापितों को उनकी अपेक्षा के अनुसार न्याय दिलवाने का आश्वासन दिया। इन अफसरों की बात से यह स्पष्ट है कि अधिग्रहण की नीति तो बनी लेकिन पुनर्वास की नहीं। इन विस्थापितों के सामने अब कुछ भी नहीं बचा है। जो कभी उन जमीनों के मालिक हुआ करते थे आज उनके पास न नौकरी है, न घर और न ही खेती लायक जमीन। इनमें से कुछ को तो जमीन दी गई थी घर बनाने के लिए पर पैसे नहीं और न ही जमीन का पट्टा दिया गया। 16,647 कर्मचारियों में केवल 1,983 ही नौकरी पाने वाले विस्थापित हैं। उनमें से कुछ को तो रिजर्व कोटा के तहत नौकरी मिली है।

देश के सारे आदिवासी पिछड़े इलाकों में गांधी जी के प्रवचन की लहर दौड़ पड़ी थी कि देश का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा। गांधी जी की इस बात के बाद सुंदरगढ़ के आदिवासियों ने विकास के नाम पर अपने पुरखों की जमीन खुले दिल से दे दी। जमीन के अधिकार के मामले में भारी भ्रम है। भूमि अधिग्रहण कानून की पांचवी अनुसूची के पैरा 5 का उप पैरा 2 भूमि आवंटन के बारे में है। उसके तहत विनिमय ऐसे बनाए जाएंगे जो अनुसूचित क्षेत्रों की जनजातियों के सदस्यों को भूमि आवटंन का नियमन कर सकेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार भूमि आवंटन के बारे में उप पैरा 2 में सिर्फ जनजाति का उल्लेख जानबूझ के किया गया है। उसका आशय यही है कि आदिवासी इलाकों के नैसर्गिक संसाधनों पर आदिवासी समाज का अधिकार हमेशा के लिए बना रहे। इसलिए राज्य का भी अधिकार नहीं है कि वह उस जमीन या संपदा को जिसे सरकार अपना मानती है किसी गैर-आदिवासी को दे दे।

1997 में एक संस्था के द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर आंध्र प्रदेश में बिड़ला कंपनी को दिए गए पट्टे को उच्चतम न्यायलय ने असंवैधानिक करार कर दिया। पर हमारी सरकार ने खदानों और उद्योग के लिए जहां देखो वहीं पट्टा दे रखा है। उद्योग लगते ही आदिवासियों का सर्वनाश शुरू हो गया।

उद्योगपतियों की मंशा यही है कि आदिवासी या तो जमीन छोड़कर भाग जाएं या फिर नष्ट हो जाएं। निजी क्षेत्रों में उद्योगों का खुलना संविधान और न्याय दोनों का खुला उल्लंघन है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का निजीकरण तुरंत रोका जाना चाहिए। निजीकरण अनुसूचित क्षेत्रों और उनकी अस्मिता पर खुला हमला है। इसलिए इन प्रतिष्ठानों में समाज के मालिकाने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए जाएं। और कंपनी के 50 प्रतिशत

दिल्ली

भूमि लूट के खिलाफ : किसान-मजदूर ,आदिवासियों की महारैली

जमीन हमारे आपकी, नहीं किसी के बाप की....इस गर्जना के साथ 24 फरवरी 2016 को राष्ट्रीय राजधानी में जंतर-मंतर पर हजारों की तादाद में किसानों ने इक्ट्ठा होकर सरकार को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि वह किसी भी हालत में अपनी जमीन कॉर्पोरेट ताकतों को नहीं कब्जाने देंगे। जल-जंगल-जमीन और श्रम की कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ भूमि अधिकार आंदोलन के नेतृत्व में आयोजित इस रैली में देश के विभिन्न राज्यों से हजारों किसानों, मजदूरों, मछुवारों, वनाश्रितों और दलितों ने हिस्सा लिया।

विभिन्न राज्यों में अपनी भू-अधिकार को लेकर लड़ रहे इन समुदायों के प्रतिनिधियों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि मौजूदा सरकार जिस तरह से देश के प्राकृतिक संसाधनों को निजी ताकतों के हाथ सौंप रही है, वह उसे हर्गिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। रैली में मौजूदा समय में देश में चल रहे असहिष्णुता के माहौल की आलोचना करते हुए अभिव्यक्ति तथा विरोध के अधिकार के हनन के खिलाफ संघर्ष की भी बात की गई। इस रैली को मेधा पाटकर, डॉ. सुनीलम, अशोक चौधरी, रोमा मलिक, हनन मुल्ला, सुमीत चक्रवर्ती, दीप सिंह शेखावत, ऋचा सिंह समेत अनेक जनांदोलनों के नेतृत्वकारी साथियों ने संबोधित किया। रैली में सरकार के समक्ष निम्न मांगें रखी गईं ।

हमारी मुख्य माँगे:

भूमि अधिग्रहण (संशोधन) बिल, 2015 वापस लो।

भूमि अधिग्रहण नहीं भू अधिकार चाहिए। भूमि अधिग्रहण, 2013 कानून की अवहेलना बंद करो और राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे छेड़छाड़ एवं बनाये कानूनों की मंजूरी रोको।

राज्य सरकारों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किये जा रहे भूमि अधिग्रहण पर लगाम लगाओ। वनाधिकार कानून 2006 से छेड़छाड़ बंद करो और प्रभावी तरीके से लागू करो।

कृषि संकट से निपटने के लिए तात्कालिक उपाय करो, फसल का उचित दाम और क्षति फसल के बदले उचित मुआवजा दो। बुनियादी भूमि सुधार एवं भू हदबंदी लागू करो या अतरिक्त जमीन का बंटवारा करो, गरीबों के लिए आवास मुहैया कराओ और जबरन विस्थापन बंद करो।

मनरेगा कानून में बदलाव बंद करो, आवंटन बढ़ाओ और 300 दिन और 300 रूपये रोज का काम सुनिश्चित करो।

टी एस सुब्रमनियम समिति द्वारा प्रस्तावित पर्यावरणीय कानूनों को खारिज करो।

श्रम कानूनों में फेरबदल खत्म करो, मजदूरों का अधिकार बहाल हो।

महिलाओं पर बढ़ते हिंसा और अत्याचार रोकने के लिए उचित कार्यवाही हो। झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर जनतांत्रिक अधिकारों का हनन बंद करो और बढ़ती फासीवादी ताकतों पर लगाम लगाओ।

रोहित की हत्या के विरोध में प्रतिरोध मार्च : 23 फरवरी 2016

ब्राह्मणवादी हिंदुत्व फासीवाद को बर्बाद करें ! रोहित के लिए न्याय की मांग !

दलित शोधार्थी रोहिथ वेमुला की भाजपा, एबीवीपी तथा HCU प्रशासन के हाथों द्वारा हुई संस्थागत मृत्यु को चार महीने होने आये हैं। रोहित उन पांच दलित शोधार्थियों में से था जिन्हें उनके हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया था तथा देश की फासीवादी और ब्राह्मणवादी शक्तियों के द्वारा किये गये अन्याय के विरोध में आवाज उठाने के लिए भी इन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा था।

रोहित की मृत्यु ने देश में सैंकड़ों धरने-प्रदर्शनों को चिंगारी दी, जिसमें लोगों ने रोहित के लिर न्याय तथा जीवन के सभी क्षेत्रों से जातिगत भेदभाव को खत्म करने की मांग की है। लेकिन न्याय तो क्या, जिन्होंने रोहित को आत्महत्या के लिए मजबूर किया वह सम्मानीय पदों पर बिठाये जा रहे हैं तथा न्यायिक तहकीकात से बचाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इन्हें तर्कों से परे बचाया भी जा रहा है जबकि रोहिथ और उसकी दलित अस्मिता को इन ताकतों के प्रश्नांकित भी किया गया है। इसी बीच केंद्र सरकार ने अपने आप इस मुद्दे को कमजोर करने की साजिश में लोगों का ध्यान एक दूसरे उच्च शिक्षा संस्थान की ओर खींचा है; जोकि जेएनयू है। यहां सरकार ने मनगढंत खुफिया रिपोर्टों के आधार पर सनसनी पैदा करने वाली खबरों तथा आरएसएस-बीजेपी-एबीवीपी के तिकड़म के षड्यंत्रों द्वारा संस्थान को 'देश-द्रोही' घोषित किया है। इस देश में फासीवादी शासन को स्थापित करने के संघ गिरोह का गठजोड़ और उनका एजेंडा आज हमारी आँखों के सामने है। इस विपरीत समय में, एक साथ जुड़ने की जरूरत है, ताकि ब्राह्मणवादी हिंदुत्व के एजेंडे की कलई खुले तथा देश की जनता पर हो रहे फासीवादी हमले के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके।

सामाजिक न्याय के लिए बनी जॉइंट एक्शन समिति रोहिथ की ही तरह उस हर आवाज के लिए मौजूद है, जिन्हें सरकार खामोश कराना चाहती है। सैकड़ों रोहिथ वेमूला के लिए एकताबद्ध होकर न्याय की मांग कर रहे हैं।

मांगें -

- शैक्षणिक संस्थाओं में जातिगत भेदभाव के खिलाफ "रोहिथ एक्ट" क्रियान्वित किया जाये।
- दोषियों को सजा दिलायी जाये (स्मृति ईरानी, बंडारू दत्तात्रय, अप्पा राव, आलोक पाण्डेय तथा सुशील कुमार
- अप्पा राव को कुलपति के पद से हटाया जाए।
- रोहिथ के परिवार के सदस्य को यूनीवर्सिटी में नौकरी दी जाये।
- कम से कम 50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाये।
- पांच शोधार्थियों के खिलाफ पुलिस केस वापस हो।
- एक विशेष पब्लिक वकील को रोहिथ से संबंधित केस के लिए नियुक्त किया जाये।
- भेदभाव के सभी मामलों में न्यायिक तहकीकात के लिए एक समिति बनाई जाए (जिसमें MHRD के सदस्य न हों) और वह उच्च शिक्षा संस्थानों में दलित, आदिवासी, ओबीसी, धार्मिक अल्पसंख्यक के मामले देखे।
- महाविद्यालयों के प्रबंधन की परवाह किये बिना, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में सकारात्मक कार्यवाही के लिए नीतियों को क्रियान्वित किया जाये।

तीन रंग वाली आज़ादी : जेएनयू, देशद्रोह और संघी हिंसा

-हिमांशु पंड्या

मैं सबसे संवेदनशील मुद्दे नारे-पोस्टर-सभा पर ही बात करूंगा उसके बहाने कई बातें आयेंगी.

पहली बात, मैं अब यह दावे से कह सकता हूँ कि 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा वहां लगाया ही नहीं गया था यह जी टीवी था जिसने 'भारतीय कोर्ट जिंदाबाद' को बड़ी कुशलता से टेम्परिंग के जरिये 'पाकिस्तान जिंदाबाद' में बदला और फिर जब उसमें एबीवीपी के लोग ही फंसने लगे तो मूल वीडियो प्रस्तुत कर दिया लेकिन तब तक वह 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का हौव्वा खडा हो चुका था जो लोगों की स्मृति में बस गया वैसे यह सबसे कम आपत्तिजनक नारा है मेरी निगाह में, पर आपकी में है तो ये आपकी जानकारी के लिए है. जो जीटीवी एक बार धोखा कर सकता है, उसके बाकी वीडियोज को भी शक की निगाह से देखिये. ऑडियो टेम्परिंग से कुछ का कुछ बनाया जा सकता है. दूसरा वीडियो जो काफी अँधेरे में था, जिसमें 'भारत की बर्बादी' वाला नारा दिया गया, मैं उसके सन्दर्भ में खास तौर पर ये बात कह रहा हूँ. बहरहाल, यह नारा सर्वाधिक आपत्तिजनक है. इसका बचाव कोई भी नहीं कर सकता, सबको इसकी निंदा करनी चाहिए. सबने की भी, सभी दलों ने की, लिखित में भी पर्चे जारी कर की, फ़ौरन की. पर उसे किस किसने दिखाया ?

'इंशा अल्लाह' का नारा कोई वामपंथी लगा ही नहीं सकता. डीएसयू (वह संगठन, जिससे कभी जुड़े रहे विद्यार्थियों ने यह कार्यक्रम रखा था) में तो सबसे 'कड़े' वामपंथी होते हैं, चौबीस कैरेट वाले ! (मजाक कर रहा हूँ, हालांकि उस संगठन में भी मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं. लडाइयां बहसें भी हुई पर जब मेरे राज्य राजस्थान में 'सूचना के अधिकार' के तहत स्टैच्यू सर्किल, जयपुर पर चल रहे धरने में भागीदारी के लिए जेएनयू के साथियों से मैंने कहा तो जो छ दोस्त मेरे साथ जयपुर चले, उसमें तीन डीएसयू वाले ही थे.और वह कोई वामपंथी आन्दोलन नहीं था.) उसी तरह (कन्हैया कुमार के संगठन) एआईएसऍफ़ वाले राष्ट्रवाद को प्रश्नचिह्नित करने वाला कोई नारा नहीं लगा सकते. सबके नारे और उनकी राजनीति स्पष्ट है. 'न हिन्दू राष्ट्र न नक्सलवाद/ एक रहेगा हिन्दुस्तान' यह एसएफआई का नारा है, इसे आइसा कभी नहीं लगाएगी. दूसरी ओर यह भी स्पष्ट है कि संयुक्त मोर्चे/जुलूस में यह नारा एसएफआई भी नहीं लगाएगी. आप शायद समझ रहे होंगे.

बहरहाल, अब वो नारे जिनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है. और जो इस घटाटोप में बुरे मान लिए गए हैं. सबसे पहले 'आज़ादी' का नारा. आपने देखा होगा, उसमें एक के बाद एक कई आजादियों की मांग की जाती है. यह एक बहुत सुन्दर नारा है और यह अनेक मौकों पर दिया जाता है. यह हमारी आज़ादी को व्यापक अर्थों में ले जाने की मांग करता है.खुद बाबा साहब आंबेडकर ने राजनीतिक आज़ादी को नाकाफी कहते हुए सामाजिक आज़ादी के लिए लम्बी लड़ाई की जरूरत बतायी थी.हमारे दोस्त पंकज श्रीवास्तव ने इसका एक रूप प्रस्तुत किया है, मैं उसे साभार ले रहा हूँ :

मैं भी माँगूँ आज़ादी
तुम भी माँगो आज़ादी
सामंतवाद से आज़ादी,
पूँजीवाद से आज़ादी,
साम्राज्यवाद से आज़ादी
कारपोरेट से आज़ादी,
जातिवाद से आज़ादी,
ब्राह्मणवाद से आज़ादी
मर्दवाद से आज़ादी..
राम भी माँगे आज़ादी
रहमान भी माँगे आज़ादी
सांप्रदायिकता से आज़ादी

दंगाइयों से आज़ादी
फ़ासीवाद से आज़ादी
लूटपाट से आज़ादी
लड़ के लेंगे आज़ादी
छीन के लेंगे आज़ादी..
आज़ादी भाई आज़ादी
हमें चाहिए आज़ादी...

इस नारे ने निर्भया/ज्योति के आन्दोलन के समय एक नया आयाम और लोकप्रियता पायी. जिस समय निर्भया के निर्मम बलात्कार-हत्या के बाद पितृसत्ता द्वारा लड़कियों पर पाबंदियां बढ़ने और उनके कपड़ों-आचरण-घूमने-दोस्ती वगैरह को दोष देने का खतरा मंडरा रहा था, उस समय बहुत जागरूक ढंग से प्रमुख स्त्री संगठनों और जेएनयू के विद्यार्थियों ने इसे पितृसत्ता से लड़ाई पर फोकस करने में काम में लिया. उन मूल्यों से लड़ाई में काम लिया जो स्त्री को कमजोर और संरक्षणीय मानते थे,उनकी हिफाजत का जिम्मा मर्दों को देते थे और इस नाते स्त्री के हितैषी होने की छवि प्रस्तुत करते थे लेकिन दरअसल उसकी गुलामी की जंजीरें तैयार करते थे. (कोई चैनल उन् नारों को न समझ पाने के कारण 'अनऑडिबल' कह रहा था, मुझे हंसी आ गयी.मुझसे पूछ लेते, पर नहीं , वह आपको नहीं समझ आयेगा, आपको सिर्फ 'कश्मीर मांगे आज़ादी' सुनाई देगा.) 'बाप से मांगे आज़ादी/ खाप से मांगे आज़ादी/ सुनसान सड़क पर आज़ादी/रात में घूमने की आज़ादी ...' इस तरह यह नारा बढ़ता जाता है, इसमें कई आयाम लोगों ने अपनी समझ और सूझ से जोड़े. इसी क्रम में यह समझना जरूरी है कि जब निर्भया आन्दोलन चल रहा था, तब इसकी मध्यवर्गीय सीमाओं को लांघने की कोशिश की गयी. इसमें सोनी सोरी (एक आदिवासी बहन, जिसे बिना सबूतों के नक्सलवादी कहकर जेल में डाला गया, जिनकी योनि में दंतेवाडा एस पी अंकित गर्ग ने पत्थर भर दिए थे और इस वीर एस पी को भारत सरकार ने गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया.) या मनोरमा (मणिपुर की बहन, जिसे आसाम राइफल्स के जवानों ने 10 जुलाई, 2004 को उठा लिया और अगले दिन उसका बलात्कृत क्षत विक्षत शव सड़क पर मिला और जिसके पांच दिन बाद मणिपुर की कुछ स्त्रियों ने भारत का सर्वाधिक मार्मिक झकझोर देनेवाला प्रतिरोध करते हुए नग्न होकर इस भारतीय राष्ट्र के सामने एक पोस्टर दिखाया जिस पर लिखा था- "इंडियन आर्मी, रेप अस".) या कुनन पोश्पोरा की महिलाओं(कश्मीर के कुपवाड़ा का एक गाँव जहां 23 फरवारी ,1991 की रात फोर्थ राज राइफल्स के जवानों ने वहां की अनगिनत महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया,पूरी रात.) के सवाल क्यों नहीं शामिल होंगे. इसमें खैरलांजी के दलित परिवार की सुरेखा और प्रियंका भोटमांगे क्यों नहीं आयेंगी. 29 सितम्बर,2006को भोटमांगे परिवार के चार लोगों की नृशंस हत्या की गयी. दोनों मां-बेटी को गाँव भर में नग्न परेड और बलात्कार के बाद मारा गया. महिला आन्दोलन का मानना था कि जाति,धर्म,राष्ट्र के भाले सबसे पहले महिलाओं के ही शरीर में घोंपे जाते हैं और इसलिए कोई भी महिला मुद्दा इन सब पर हमला किये बिना,इकलौता नहीं लड़ा जा सकता.इस तरह इस लड़ाई में जातिगत शोषण से लेकर AFSPA जैसे कानूनों के विरोध ने भी जगह ली. छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को भी आज़ादी चाहिए, कॉर्पोरेट लूट से. कश्मीर को आज़ादी चाहिए आफ्सपा जैसे घोर मानव विरोधी क़ानून से. पूरे मुल्क को आज़ादी चाहिए हमारी नसों में घुस चुके जातिवाद के जहर से.

यह सिर्फ एक लंबा उदाहरण था यह समझाने के लिए कि अधिकारों के लिए चल रही सारी लडाइयां आज़ादी की ही लडाइयां हैं. और ये आपस में जुडी हुई भी हैं. 'आज़ादी' - यह दुनिया का सबसे खूबसूरत लफ्ज़ है. बराबरी और भाईचारा इसका हाथ पकडे बिना नहीं आ सकते. आपको इससे डर क्यों लगता है ? आप नहीं चाहते कि इस मुल्क के सभी भाई बहन आज़ाद हों ? आपकी बेटियाँ देर

रात घर आयें तो आपको चिंता न हो. यदि किसी के साथ उसके रंग या जन्म या लिंग या भाषा या क्षेत्र किसी भी आधार पर भेदभाव होता है तो सबसे पहले उसकी आज़ादी का हनन होता है, उन अधिकारों का हनन होता है, जो इस आज़ाद मुल्क ने अपने आज़ाद नागरिकों को देने का वादा किया था. क्यों यह मुल्क डेढ़ दशक से आमरण अनशन पर बैठी एक महिला की आवाज़ नहीं सुनना चाहता ? (और जानकारी के लिए, यह पूरी दुनिया में सबसे लंबा आमरण अनशन बन चुका है. हैट्स ऑफ़ टू नेशन व्हिच डू नॉट वांट टू नो!)

और आपकी जानकारी के लिए, मैं हर साल जब साहित्य की अपनी कक्षा में आधुनिक काल पर आता हूँ तो सबसे पहले 'आधुनिकता' क्या है, इसी पर बात करता हूँ और आधुनिकता के सबसे जरूरी तत्त्व के रूप में इसी आज़ादी का मोल और अर्थ समझाता हूँ. (दूसरा तत्त्व है - तर्क) अब क्या आप मेरी कक्षा को भी देशद्रोही साबित करेंगे ? क्या उन किताबों को भी जला देंगे, जिनसे मैंने यह सीखा है ?

अब रहा आख़िरीनारा - 'तुम कितने अफज़ल मारोगे / हर घर से अफज़ल निकलेगा'. यदि मेरी अब तक की बातों का सिरा पकडके आप यहाँ तक पहुंचे तो इसे समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इसका सीधा मतलब यही है कि राज्य की हिंसा सिर्फ प्रतिहिंसा को जन्म देती है. वैसे चर्चा तो इसकी भी की जा सकती है कि जब सामने से नारा लग रहा हो 'जो अफज़ल की बात करेगा / वो अफज़ल की मौत मरेगा' तो वो कौनसा यार्डस्टिक या पैमाना है, जो एक को राष्ट्र समर्थक और दूसरे को राष्ट्रद्रोही घोषित करता हो. दूसरी ओर का दूसरा नारा तो जगतप्रसिद्ध है ही जिसमें दूध मांगने पर खीर देने की बात कही गयी है और खीर मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है इसलिए मैं इस नारे का अर्धांश बचा लेना चाहता हूँ सभी खीर प्रेमियों की ओर से. मैं 'दूसरी ओर' यह भाषा काम में नहीं लेना चाहता था पर जब दो छोर हैं ही और आप एक छोर की बात सुन चुके हैं तो मेरा फ़र्ज़ है कि अनसुने छोर की ही बात बताऊँ. इसमें लगे हाथ यह भी जोड़ लीजिये कि अफज़ल को कश्मीर में लाखों लोग शहीद मानते हैं. भारत के सर्वोच्च न्यायलय ने अपने निर्णय में उसके खिलाफ षड्यंत्र में प्रत्यक्ष भागीदारी के ठोस सबूत न होने की बात को स्वीकारा है और लिखा है कि उसे इस देश के 'सामूहिक अंतःकरण की संतुष्टि' के लिए फांसी दी जाए. इसका क्या मतलब होता है ? क्या इसे कोई न्यायिक हत्या कहे तो वह दोषी है इस मुल्क का ? इस आयोजन के आयोजकों ने अपने पर्चे में यही कहा था. इस कार्यक्रम का नाम था -'द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस'. यह आगा शाहिद अली के 1997 में आये कविता संग्रह का नाम है. 1990 में कश्मीर में सात महीनों तक डाक नहीं बंटी थी, यह इसका सन्दर्भ है. क्या उनकी तकलीफ को बाकी मुल्क को जानने का अधिकार नहीं है ?

अपने को इस पूरे राष्ट्र का ठेकेदार मानने वाले पत्रकार का वह क्लिप आपने देखा होगा जिसमें उसने उमर खालिद को हनुमंथप्पा का नाम लेकर चुप करवा दिया था. चुप क्या करवा दिया था, माइक निकाल दिया था. आपको लगा ऐसा करके उसने भारतीय राष्ट्र की तरफ से उमर को चुप करवा दिया था. लांसनायक हनुमंथप्पा ने इस मुल्क के लिए जान दी थी तो इस मुल्क के लोगों की बात को, उन लोगों की बात को - जिसे यह मुल्क नहीं सुन पा रहा, पहुंचाने की कोशिश करने वाला उनकी विरासत का उत्तराधिकारी है या उस आवाज़ को चुप कराने वाला ? और क्या उसका अपने मुल्क के अभागे भाइयों से प्यार , देशद्रोह है ? ठीक से सोचिये, कहीं हमारी राष्ट्रवाद की अवधारणा में कोई बुनियादी कमी तो नहीं है ?

इस चित्र को फिर ध्यान से देखिये, जिसे देखकर आपका खून खौल रहा था. इसमें एक चित्र कश्मीर की अर्धविधवाओं का है, वे मजलूम औरतें जिनके शौहर लापता हैं, जो बरसों से इस उम्मीद में जी रही हैं कि किसी दिन वे वापिस आ जाएंगे, वे उन

कहानियों के सहारे जीवित हैं कि फलां का शौहर-बेटा -बाप तेरह साल बाद अचानक मिल गया था.दूसरा चित्र उनके यहाँ बरसों से स्थायी रूप से रह रही फ़ौज का है और तीसरा अफज़ल गुरु का है, जिसे वे अपने साथ हुए अन्याय का प्रतीक मानते हैं. ये तस्वीरें बर्बादी की कामना नहीं बल्कि जो बर्बाद हो रहा है, उसकी ओर आपका ध्यान दिलाने के लिए हैं. वापिस नारों पे आईये. 'बर्बादी' वाला वह नारा कितनी देर का है ? बीस सैकंड ? तीस सैकंड ? जो मुल्क पंद्रह साल से गूँज रही अपनी बेटी की पुकार नहीं सुन रहा, उसने तीस सेकंड्स के नारे इतनी फुर्ती से कैसे सुन लिए ? इस सारी बहस को तो खैर जाने ही दीजिये कि उस केऑस में कोई नारा कितनी जल्दी रुकवाया जा सकता था, पर यह जान लीजिये कि इस मुल्क ने फिलहाल इतनी 'सहिष्णुता' दिखा रखी है कि वह इन इलाकों में उठने वाले आक्रोश के स्वरों की आसानी से 'उपेक्षा' कर देता है. यहाँ तक कि ऐसी आवाजों के साथ केंद्र , राज्य संचालन के दायित्त्व भी बाँट लेता है. जेएनयू इस देश का , कम से कम मानविकी, सामाजिक विज्ञान और गैर तकनीकी अनुसंधान में अकेला विश्वविद्यालय है जो अखिल भारतीय चरित्र का है. इसकी प्रवेश परीक्षा आनेवाली 16-19 मई को देश के बावन शहरों में होगी. यह विश्वविद्यालय एक छोटा भारत है. बड़ा भारत जब अपने दूरदराज के कोनों की आवाज़ दूरी के कारण सुन नहीं पा रहा होता, तब इस छोटे भारत में ये आवाजें पास पास आती हैं, कई बार केरल का लड़का, बिहार के लड़के का रूम पार्टनर बनता है. इस छोटे भारत में एक वे एक दूसरे की बातें सुनना-समझना-लड़ना-झगड़ना सब सीखते हैं. तब थोड़ा हौसला आता है, दूरियां मिटती हैं और यह छोटा भारत उस सपने को पाने की कोशिश करता है, जिसे दरअसल बड़े भारत को एक न एक दिन पाना ही है.

आपने जिन नौ दस बच्चों के चित्र टीवी पर देखे हैं ना, वे सब अलग अलग प्रान्तों के हैं, उनका साथ आना इस मुल्क को कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है, शब्द के वास्तविक अर्थ में मजबूत. दबाव की एकता नहीं, साथ की एकता, प्यार की एकजूटता. कम से कम इस छोटे भारत में तो यह प्रयोग होना चाहिए. किसी दिन बड़े भारत में भी हम इस सपने को पा लेंगे.

और अब आखिर में मैं यह बता ही दूं - यह आज़ादी का नारा मूलतः कश्मीर का ही है और अब अगर मैं हिचकते हुए यह भी बता दूं कि यह नारा सबसे पहले कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़नेवालों ने ही लगाया था तो अब तो आप मेरे मुंह से 'आज़ादी' इस लफ्ज़ का उच्चारण सुनकर मुझे देशद्रोही तो नहीं कहेंगे ना ? मैं इस मुल्क से बहुत प्यार करता हूँ , अपने अल्मा मैटर से प्यार करता हूँ जिसने मुझे पूरे मुल्क से प्यार करना सिखाया.

इसलिए लिखता हूँ - "असली नारे लगानेवाले को ढूंढो !" यह नारा भी दरअसल जेएनयू को बचा नहीं रहा है. एक नौजवान - जिसका नाम उमर खालिद है, उसे आपने बिना सबूत के आतंकवादी बनाकर पूरे मुल्क को उसकी तस्वीर दिखा दी है. दिल्ली की सड़कों पर उसके चित्र वाले पोस्टर लगा दिए हैं. बजरंग दल नामक सांस्कृतिक दल के कार्यकर्ता उसके खून से तिलक करके अपना अनुष्ठान पूर्ण करना चाहते हैं. यदि आज उसे कुछ हो गया ना, तो इस छोटे भारत में तो सम्वाद के सारे रास्ते बंद हो ही जायेंगे , पर आपकी कमीज़ पर जो खून के दाग लगेंगे,उनका क्या होगा ? माना,अखलाक का मारा जाना हम नहीं रोक सकते थे पर रोहित का मारा जाना एक क्रमबद्ध हत्या थी. उसका निष्कासन, उसका बहिष्कार, उसकी प्रताड़ना सब धीरे धीरे घटित हुआ था. उसे भी 'राष्ट्र विरोधी' ही घोषित किया गया था. ठीक है, आपको तब पता नहीं चला, पर इस बार तो आपकी आँखों के सामने सब हो रहा है.कन्हैया कुमार, उमर खालिद, रामा नागा, श्वेता राज,आशुतोष कुमार,अनंत प्रकाश नारायण ये सब नाम नहीं हैं,आपके विवेक की कसौटी हैं. अभी हम एक रोहित की हत्या का पश्चाताप भी नहीं कर पाए हैं, दूसरे रोहित को खुदसे बिछड़ने देंगे ?

अकाल से वीरान होता बुंदेलखंड

भारत के सबसे मध्य में स्थित बुंदेलखंड एक बार पुनः मौसम की मार से तबाह हो रहा है। पिछले 15 वर्षों में से तकरीबन 11 वर्ष सूखे, असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि या पाला गिरने से ग्रसित रहे हैं। बुंदेलखंड पलायन के अंतहीन भंवर में फंस गया है। शासन व प्रशासन की उदासीनता स्थानीय नागरिकों के जीवन को और अधिक संकट में डाल रही है। पेश है सप्रेस से साभार भारत डोगरा का आलेख;

उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के बांदा जिले के नरैनी ब्लाक के गुढ़ेपल्हा गांव में कमलेश के परिवार के लिए दो वक्त की रोटी की व्यवस्था करना निरंतर कठिन होता जा रहा था। अनेक गांववासी पहले ही मजदूरी के लिए पलायन कर चुके थे। वह भी मजबूरी में यही राह अपनाना चाह रहा था पर उसका 2 वर्ष का बच्चा बीमार था, इस कारण झिझक रहा था। अंत में उसने फैसला किया (या लेना पड़ा) चाहे बच्चा बीमार हो, पर परिवार का पेट भरने के लिए मजदूरी की तलाश में तो जाना ही पड़ेगा।

कमलेश अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बस में बैठ गया। कुछ दूर जाने पर बच्चे की तबियत बिगड़ने लगी। लाचार माता-पिता देखते रह गए और बच्चे ने दम तोड़ दिया। जिस हालत में माता-पिता बच्चे को वापस लेकर गांव आए और दाह संस्कार किया उसे बयान करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं।

इसी ब्लाक के कटहेलपुरवा गांव में तुलसीदास नामक वृद्ध को गांव में छोड़कर उसका बेटा रोजी-रोटी की तलाश में पंजाब चला गया। तुलसीदास की तबियत अचानक बिगड़ने लगी एवं घर में इलाज के लिए पैसा भी नहीं था। उसकी पत्नी घबरा कर कुछ पैसे लेने मायके गई लेकिन उसी रात तुलसीदास की मृत्यु हो गई। अकेले होने के कारण किसी को उसकी मृत्यु हो जाने के बारे में तुरंत पता भी नहीं चला। देर से पता चलने पर उसके बेटे को तुरंत फोन से खबर की गई पर इतनी दूर से आने में देर लगी। उसके लौटने से पहले ही गांववासियों ने किसी तरह आपस में चंदा कर दाह-संस्कार किया।

मजदूरी के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि विभिन्न स्थानों पर रोजगार के लिए बुंदेलखंड से जाने वाले किसानों व खेत-मजदूरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उसके साथ ही गरीबी व तंगहाली की स्थिति में हो रहे इस पलायन से अनेक त्रासद घटनाएं जुड़ती जा रही हैं। जगह-जगह मजदूर अनिश्चित स्थिति में ईंट भट्टों में, निर्माण स्थलों पर, खेत-खलिहानों में रोजगार के लिए भटक रहे हैं। उनकी मजबूरी का लाभ उठाकर प्रायः उन्हें कम मजदूरी दी जाती है। कई बार छोटे बच्चे भी अपने माता-पिता के साथ मजदूरी के लिए पलायन कर जाते हैं क्योंकि गांव से उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। गांव में बचे परिवारों के वृद्ध सदस्य भूख-प्यास, गर्मी व सर्दी की मार को झेलते हुए बेहद दर्दनाक जीवन जीने को मजबूर हैं।

बुँदेलखंड के कई गांवों में हाल की स्थिति पता करने पर गांववासियों ने बताया कि पिछली रबी की पकी-पकाई फसल असामयिक अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से बुरी तरह उजड़ गई। खरीफ की फसल सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुई थी। अब रबी की फसल की जल संकट के कारण बुवाई बहुत ही कम हुई है। अन्नदाता कहे जाने वाले किसान के घर में अपने खेत का कोई खाद्य नहीं बचा है। दूसरी ओर बाजार से खरीदने के लिए आमदनी नहीं है। अतः या तो कर्ज लेना पड़ रहा है या

पलायन कर परिवार का पेट भरना ही एकमात्र विकल्प बचता है। उधर पशुओं के लिए भी चारे का गंभीर संकट है। यदि वर्षा न हुई तो दो-तीन महीने में पेयजल संकट भी मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए विकट स्थिति उत्पन्न कर देगा।

ऐसी विकट स्थिति में भी रोजगार गारंटी या मनरेगा का कार्यक्रम ठप्प पड़ा है। अनेक मजदूरों को बहुत पहले की गई मजदूरी का भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आंगनवाड़ी जैसे पोषण कार्यक्रम में भी कमी आई है। किसानों व अन्य गांववासियों को गंभीर संकट का सामना करने के लिए शासन एवं प्रशासन ने अपने हाल पर छोड़ दिया गया।

एक बच्चे ने बात करने पर बताया कि वह स्कूल न जाकर जंगल में बेर बीनने जाता है ताकि पेट भर सके। डरते डरते मैंने उससे पूछा कि अंतिम बार दूध कब पिया था तो उसने कहा कोई तीन वर्ष पहले। एक गोष्ठी में मैंने कुछ किसानों से बातचीत की इसके बाद सबने एक साथ भोजन किया। भोजन में दाल-चावल था। कुछ सहमते हुए मैंने अपने साथ बैठे हुए किसान से पूछा कि क्या गांव में भी भोजन में दाल खाते हो ? तो उसने कहा कि दाल तो अब सपना है। इस पर मैंने पूछा कि इससे पहले दाल कब खाई थी तो उसने बताया कि कोई दो महीने पहले। इसके बाद उसने कहा, "यदि मैं आज यहां न आता तो शायद और न मालूम कितने ही दिन तक दाल न चख पाता।"

कुछ गांवों में पूछा कि दाल-सब्जी रहने दो। दोनों वक्त पेट भरने को रोटी कितने परिवार खा पा रहे हैं ? इस पर लोगों ने बताया कि दो-तिहाई से अधिक परिवारों को यह भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

ऐसी परिस्थिति में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि सूखा व आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दुख-दर्द को दूर करने को मुख्य प्राथमिकता बनाया जाए व सरकार बड़े पैमाने पर मनरेगा व सूखा राहत से संबंधित अन्य कार्य शीघ्र आरंभ करे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि इसका क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी से हो। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं व विद्याधाम समिति जैसी कुछ संस्थाओं ने इन गांवों में अनाज बैंक व भूसा बैंक स्थापित किया है जिनसे लोगों को थोड़ी बहुत राहत भी मिली है। नागरिक संगठन को इस तरह के प्रयासों को और व्यापक स्तर पर बढ़ाना चाहिए।

बुंदेलखंड से जिन क्षेत्रों में पलायन हो रहा है, उन क्षेत्रों जैसे दिल्ली आदि में सर्दी का सामना करने के लिए आश्रय उपलब्ध करवाने की बेहतर तैयारियां करनी जरूरी है। ऐसी संस्थाओं के पते व फोन नं .पलायन वाले गांवों में पहले से उपलब्ध होने चाहिए जो इन्हें आश्रय प्राप्त करने में मदद दे सकती हैं।

झारखण्ड

देशद्रोह के मुकदमे झारखंड के आदिवासियों पर सबसे ज्यादा

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की जिस धारा 124(ए) के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है उसके तहत साल 2014 में जम्मू-कश्मीर में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया।

झारखंड इस मामले में अव्वल रहा। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 2014 में देश के खिलाफ अपराध के सबसे ज्यादा 47 मामले धारा 124(ए) के तहत ही दर्ज किए गए थे। अपराध ब्यूरो ने देश के खिलाफ अपराध के तहत दर्ज मामलों का आंकड़ा गत वर्ष पहली बार जारी किया था।

झारखंड में इस दौरान देशद्रोह के सर्वाधिक 18 मामले दर्ज हुए, जबकि माओवादी हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित छत्तीसगढ़ में ऐसा केवल एक ही मामला दर्ज किया गया। रिकार्ड के अनुसार 2014 में बिहार में देश के खिलाफ अपराध के 20 मामले दर्ज हुए, लेकिन इनमें से केवल 16 मामलों को देशद्रोह का मामला बताया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में देश के खिलाफ अपराध के 100 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से सबसे अधिक 56 मामले असम में दर्ज हुए, लेकिन इनमें से धारा 124(ए) के तहत देशद्रोह का मामला केवल एक ही बना, जबकि मेघालय में दर्ज 32 मामलों में से देशद्रोह का एक भी मामला नहीं बना।

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ सरकार ने वन भूमि पर आदिवासी अधिकार रद्द किये

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरगुजा जिले के घटबर्रा गांव में आदिवासियों के अपने पारंपरिक भूमि पर वन अधिकार को खत्म कर दिया हैं। ऐसा करने का उद्देश्य है परसा पूर्व और कटे बेसन कोयला ब्लॉक में कोयला खनन है।

ये कोयला ब्लॉक राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) और आदानी खनिज प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किये गये है।

8 जनवरी 2016 को पारित एक आदेश में सरकार ने वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत दिए गए गांव में आदिवासियों के समुदाय भूमि अधिकार रद्द कर दिये हैं। सरकार के आदेश में कहा गया है कि ग्रामीण वन अधिकार कानून का उपयोग करके गाव के पास के कोल ब्लॉक पर खनन होने नहीं दे रहे थे।

आदिवासियों के कानूनी अधिकारों पर हमला करने वाला यह पहला मामला हैं। याद रहे आदिवासियों को 2006 के एक कानून के तहत वन भूमि पर कुछ अधिकार दिए गए हैं। इस कानून के तहत जंगल के उस हिस्से में जहा आदिवासी रहते हैं। वहां की वन भूमि और वन उत्पादों पर आदिवासियों का अधिकार होता है।

वन अधिकार कानून (FRA) के तहत आदिवासियों को जो अधिकार प्राप्त हैं उन्हें किसी भी सूरत में छीना नहीं जा सकता। आदिवासियों की वन भूमि को ग्राम सभा के आदेश या फैसले से ही किसी और उपयोग में लाया जा सकता हैं।

साभार; Beingदलित

मध्य प्रदेश

नई फसल बीमा योजना किसानों के साथ छलावा है

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 16 फ़रवरी को जनांदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय एवं समाजवादी समागम के राष्ट्रीय संयोजक तथा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉ.सुनीलम् ने आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा नई फसल बीमा योजना की घोषणा की गई है जो किसानों के साथ महज छलावा है। आजादी के बाद से अब तक लागू की गई फसल बीमा योजना की कमियों को इस नई फसल बीमा योजना में दूर नहीं किया गया है।

डॉ.सुनीलम ने कहा कि अभी तक की फसल बीमा योजनाओं की सबसे बडी कमी यह थी कि अनावारी का आकलन पटवारी हल्के के आधार पर किया जाता था तथा पटवारी ही बुवाई का रकबा दर्ज करता था। अनावारी और बुवाई का रकबा दर्ज करने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं था। पटवारी के नजारिया सर्वे, क्रॉप कंटिग सर्वे तथा मौसम के आधार पर नुकसानी का आकलन कर दिया जाता था। जमीनी अनुभव यह बतलाता है कि सरकारें संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर टेबिल पर बैठ कर मुआवजा राशि का वितरण कर लेती थी। नयी योजना ने इन सभी समस्याओं को दूर नहीं किया है। सरकारी अमलों की भूमिका ज्यों की त्यों बनी हुई है। डॉ सुनीलम् ने कहा कि नयी योजना यह गारंटी नहीं देती है कि नुकसान होने पर किसी किसान का नाम फसल बीमा मुआवजा राशि वितरण से नहीं छूटेगा और न ही इस योजना के लागू हो जाने से पटवारी सही नजरिया सर्वे, क्रॉप कंटिग सर्वे तथा बुवाई का रकबा दर्ज करने लगेगें तथा भ्रष्ट पटवारी व्यवस्था योजना लागू होने से स्वतः समाप्त हो जायेगी।

डॉ.सुनीलम् ने कहा कि नई फसल बीमा योजना की प्रतियॉ अभी तक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत जिला पंचायत अध्यक्षों, विधायक और सांसदों के पास तक नहीं पहुॅचाई गई हैं। इससे स्पष्ट है कि नई फसली बीमा योजना किसानों और जनप्रतिनिधियों को अंधेरे में रख कर लागू की जा रही है। मीडिया को सर्वे की सलाह दी कि मोदी की रैली के दौरान आने वाले किसानों और जनप्रतिनिधियों से पूछा जाना चाहिये कि क्या उन्होंने योजना देखी है।

डॉ.सुनीलम् ने कहा कि म.प्र.सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम पर हजार करोड़ रूपये खर्च कर रही है। डॉ.सुनीलम ने मांग की है कि म.प्र. को आत्महत्या मुक्त प्रदेश बनाने हेतु म.प्र. सरकार को ठोस कार्यनीति की घोषणा करनी चाहिये।

डॉ.सुनीलम् ने कहा कि प्रेसवार्ता के माध्यम से इस नयी योजना के सम्बन्ध में हम राज्य सरकारों का ध्यान निम्न मुद्दों की ओर दिलाना चाहते हैं-

1. नयी योजना के तहत फसल बीमा सभी के.सी.सी.कार्डधारी किसानों तथा कोऑपरेटिव सोसायटी से खाद बीज देने वालों का पहले की तरह स्वतः किया जा रहा है, जबकि इसे स्वैच्छिक होना चाहिए तथा किसानों की जितनी प्रीमियम राशि काटी जाती है, उसकी रसीद तथा फसल बीमा करने वाली कंपनी का किसान के साथ अनुंबध पत्र की प्रति किसान को दी जानी चाहिए, ताकि जरूरत पडने पर किसान बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में कानूनी कार्यवाही कर सके।
2. बीज ,खाद्, कीटनाशक, सिंचाई के कारण फसल उत्पादन में होने वाली कमी को भी फसल बीमा के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि अमानक बीजों, खाद और कीटनाशक के चलते किसानों की फसलें लगातार प्रभावित होती हैं। इसी तरह बिजली पानी (सिंचाई) के अभाव में लगातार उत्पादन प्रभावित होता है जिसे फसल बीमा की परिधी में लिया जाना आवश्यक है। इसी तरह फसल की चोरी, जंगली जानवरों द्वारा नुकसान किये जाने तथा खलिहान में आग लगने को भी फसल बीमा की परिधि में लाया जाना चाहिए।
3. फसल बीमा प्रति एकड़ औसत उत्पादन की

समर्थन मूल्य की कीमत के साथ-साथ किसान की जमीन के मूल्य को भी कुल बीमित राशि में जोड़ा जाना चाहिए।

4. फसल बीमा की ईकाई किसान का खेत होना चाहिए।
5. जिस तरह आयकर दाता को आत्म मूल्यांकन का अधिकार दिया गया है वही अधिकार किसानों को भी दिया जाना चाहिए। अर्थात किसान को अपनी नुकसानी का पंचनामा बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
6. जिस तरह क्रॉप कंटिग सर्वे में कुछ खातों के नमूने लिये जाते हैं उसी तरह कृषि विभाग द्वारा एवं राजस्व विभाग द्वारा कुछ किसानों के दावों की जांच कर ग्राम सभा के समक्ष राजस्व विभाग तथा कृषि विभाग के सर्वे को रखे जाने के बाद ग्राम सभा की अनुसंशा एवं पुष्टि के आधार पर ही फसल बीमा के मुआवजे की राशि तय की जानी चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे भ्रष्ट पटवारी व्यवस्था पर अंकुश लगाया जा सकता हैं।
7. फसल बीमा का भुगतान औसत उत्पादन में आई कमी यानी जितना कम उत्पादन हुआ हो उसके समर्थन मूल्य के बराबर मुआवजा राशि प्रदान की जानी चाहिए अर्थात गेंहू के प्रति एकड़ दस बोरे उत्पादन की जगह यादि पांच बोरा उत्पादन होता है तो किसान को प्रति एकड़ समर्थन मूल्य के आधार पर पांच बोरे की मुआवजा राशि दी जानी चाहिए।
8. समर्थन मूल्य भाजपा के घोषणा पत्र तथा स्वामीनाथन कमेटी की अनुशंसा के आधार पर लागत से डेढ़ गुना किया जानें का प्रस्ताव हैं किसान लागत से दुगना दाम और मुआवजे की मांग करती हैं।
9. फसल बीमा का भुगतान किसान के निजी खाते में किया जाना चाहिए। ऋण देने वाले बैंक को नहीं क्योकि अब तक का किसानों का अनुभव बताता है कि किसानों की फसल बीमा की मुआवजा राशि बैंक में भेज दी जाती हैं। तथा बैंक उस राशि का समायोजन कर लेता है। जिसके परिणाम स्वरूप मुआवजा राशि का इस्तेमाल किसान नहीं कर पाता अर्थात योजना का नाम किसानों के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा है लेकिन वास्तव में यह बैक के लिये चलायी जा रही बीमा योजना बनकर रह गई हैं।
10. फसल बीमा सभी कृषि उत्पादों पर लागू होना चाहिए।
11. फसल बीमा की प्रीमियम राशि सरकार द्वारा भरी जानी चाहिए, ताकि किसानों को वर्तमान कृषि संकट से उबारा जा सके।
12. फसल बीमा योजना का लाभ वास्तव में किसानों को तब मिलना शुरू होगा जब वर्तमान सूखे की स्थिति से कर्ज से उबारने के लिये सभी किसानों की कर्जा माफी तथा बिजली बिल माफ की जाये।
13. सरकार ने कम्पनियों को नौ लाख करोड़ की छूट दी है तथा कर्मचारियों को सातवे वेतन समझौते की अनुशंसाओं को लागू कर एक लाख करोड़ रूपए का अतिरिक्त आर्थिक बोझ वहन करने का फैसला किया गया है जिससे केवल एक करोड़ केन्द्र सरकार के कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार को अस्सी करोड़ किसानों के लिये कम्पनियों को दी गई छूट के बराबर राशि कर्जा माफी बिजली बिल माफी तथा किसानों का प्रीमियम किसान की ओर से भरने पर खर्च करना चाहिए।

डॉ.सुनीलम् ने रीवा में भाजपा के पूर्व पार्षद अतीक अहमद की पुलिस पिटाई में मौत को लेकर 6 पुलिस कर्मियों के निलंबन की कार्यवाही को नाकाफी बताते हुए सभी पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफतार कर जेल भेजने की कार्यवाही की मॉग की है। जेएनयू को आतंकवादियों, देशद्रोहियों का अड्डा बताये जाने डॉ.सुनीलम् ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बनारस हिन्दू वि.वि.के साथ अंग्रेजों ने भी कभी इस तरह का बर्ताव नहीं किया था। जैसा केन्द्र की वर्तमान भाजपा सरकार कर रही है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया की राष्ट्र द्रोह के मामले में गिरफतारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉ.सुनीलम् ने कहा कि पंजाब और कश्मीर में आतंकवादियों ने सबसे ज्यादा निशाना कम्यूनिस्टों को ही बनाया था। उनकी राष्ट्रभक्ति पर प्रश्नचिन्ह लगाना सर्वथा अनुचित है।

राष्ट्रपति से मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने की संरक्षण या मौत का रास्ता बताने की अपील

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के चिचोली ब्लाक के कामठा माल और बोड पंचायत के उमरडोह बसाहट को 19 दिसम्बर को वन, राजस्व और पुलिस विभाग ने पूरी तरह उजाड़कर उनकी पूरी फसल बर्बाद कर दी / 200 लोगों की टीम ने खाकी वर्दी के गुंडे बन ऐसी कार्यवाही की, जैसे दुश्मन देश की सेना ने हमला कर दिया हो/ उनकी खड़ी फसल पर जे सी बी चला दिया; फलदार पौधे जो लोगों ने लागये थे वो उखाड़ दिए; फसल और पानी में अत्याधिक कीटनाशक डाल बर्बाद कर दिया / उनके सारे 45 घर भी जमीनदोज कर दिए/ 25 जनवरी को श्रमिक आदिवासी संगठन ने बयान जारी कर जानकारी दी है कि इन आदिवासी परिवारों ने राष्ट्रपति से संरक्षण या मौत का रास्ता बताने की अपील की है, पेश है श्रमिक आदिवासी संगठन की राष्ट्रपति के नाम अपील;

श्रमिक आदिवासी संगठन, बैतूल
पता: बोहरा मस्जिद के सामने, कोठी बाज़ार, बैतूल

प्रति,
महामहिम राष्ट्रपति,
प्रणब मुखर्जी
भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली

विषय : उमरडोह, तहसील चिचोली, जिला बैतूल, म. प्र के आदिवासीयों की संरक्षण या मौत का रास्ता बताने की अपील.

महामहिमजी,
हम, बोड और कामठामाल पंचायत, की आदिवासी बसाहट उमरडोह , तहसील चिचोली, जिला बैतूल, म. प्र के 45 आदिवासी परिवार की ओर से यह की संरक्षण या मौत का रास्ता बताने की अपील भेजे रहे है. उनका कहना है, जिसे उन्होंने आज अपनी बसाहट पर इस बैनर को लगाकर बताया:

महामहिम राष्ट्रपतिजी ,
जुआंर, सेवा, जिंदाबाद! जय हिन्द !

अधिकारीयों से कहिए - हमें सविंधान के हमारे अधिकार से जीने दे या मौत दे! म. प्र. सरकार के अधिकारियों ने हमारे घर, खेत, फसल सब उजाड़ दिया | अब खाने के लाले है | हम एक माह से ठंड में खुले में सो रहे है | लकड़ी, खाना, चारा कुछ भी नहीं बचा! कैसे जिए, समझ नहीं आ रहा! आप हमारे अधिकार की रक्षा करने वाले है | हमारी रक्षा करे या मरने का रास्ता बता दे|

निवेदक
हम सब आदिवासी
उमडोह बसाहट, पोस्ट कुरसना, तहसील चिचोली, जिला बैतूल, म. प्र.
इसमें कई आदिवासी किसान ऐसे हैं जिन्होंने फसल लगाने के लिए कर्ज भी लिए था | जैसे .कलीराम,
मनीराम; अब इन लोगों के पास बंधुआ मजदूरी या आत्महत्या के सिवाय कोई उपाय नहीं बचेगा |
तब से ही यह सारे 45 आदिवासी परिवार खुले में सो रहे हैं जिससे अनेक बच्चे और बूढ़े गंभीर रूप से बीमार है

| इन लोगों के पास जो जलाऊ लकड़ी आग तापने को थी, उसे भी वन विभाग के दल ने आग लगाकर नष्ट कर दिया है | उनका सामान भी छुड़ा लिया है | इसलिए, इन्हें ठंड में ऐसे ही रात गुजारनी होती है | इस सबके चलते सभी लोगों को ठंड से बुखार आना; खांसी; शरीर अत्यंत ही कमजोर हो जाने की शिकायत हो गई है | बीमार बच्चों में :रिंकी पिता शिवपाल, 7 वर्ष; सविता पिता शिवपाल, 8 वर्ष; अक्षय पिता भजन, 4 वर्ष; राजकुमार पिता भजन, 7 वर्ष; चंपा पिता धनाराम, 7 वर्ष; सकीना पिता संजू, 5 वर्ष, शामिल है| उन्हें आगे चलकर जान का खतरा भी हो सकता है |

जबकि, अनूसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी कानून, वन अधिकारों की मान्यता (कानून, 2006 (वन अधिकार कानून, 2006) के तहत जंगल पर आदिवासी एवं अन्य वनवासी समुदाय के अधिकार नए सिरे से तय होना है | धारा 3 (1) में आदिवासियों एवं अन्य वन्वासियों के यह सारे अधिकार वर्णित है, इस मामले में कौन से कब्जे 13/12/2005 के पहले के है और कौन से उसके बाद के; और जंगल पर आदिवासियों के क्या अधिकार है, यह तय करने का अधिकार ना तो किसी भी अधिकारी को है और ना किसी अदालत को | बल्कि. इस कानून की धारा 6 के अनुसार इन सारे अधिकारों को तय करने का एक मात्र अधिकार उस गाँव की ग्राम सभा को है | और जब -तक इस कानून के तहत इन अधिकारों को तय करने की सारी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती, तब-तक इस कानून की धारा 4 (5) के अनुसार जंगल जमीन के किसी भी कब्जेधारी को उसके कब्जे की जमीन से बेदखल करने पर रोक है |

अगर अधिकारी आदिवासियों को इसी तरह से उनके कब्जे की जंगल जमीन से एकतरफा कार्यवाही कर बेदखल करते रहेंगे, तो फिर आदिवासियों वन अधिकार कानून, 2006 की धारा 3 (1) के तहत जो अधिकार उन्हें मिलना है उसका दावा कैसे पेश करेंगे | इसलिए वन विभाग की यह कार्यवाही, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति) अत्याचार निवारण (अधिनियम 1989 की धारा 3 (1) (V) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है | संविधान में आदिवासियों के संरक्षण की जवाबदारी आपकी है .अत :आपसे अनुरोध है कि इस मामले में अवलिम्ब हस्ताक्षेप कर आदिवासियों को बेमौत से बचाए.

आदिवासियों की और से

अनुराग मोदी
sasbetul@yahoo.com

मिल रहा जमीन का अधिकार :संघर्ष के आगे झुकी सरकार

संघर्ष के आगे झुक रही सरकार, मिल रहा जमीन का अधिकार
सुगट व ककराना के 8 विस्थापितों को 5-5 एकड़ जमीन का हक मिला।
मध्यप्रदेश में पूर्व में भी 31 डूब प्रभावित विस्थापितों को जमीन मिल चुकी है ।

मध्य प्रदेश के सरदार सरोवर बांध प्रभावित जो पिछले 30 सालों से अपने संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ रहे है, अब उन्हें उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। जमीन के बदले जमीन की मांग करने वाले विस्थापितों को 20 जनवरी को धार जिले के हिम्मतगढ में जमीन दी गई। सरदार सरोवर बांध प्रभावित के डूब से प्रभावित ककराना और सुगट के इन 8 प्रभावितों को मध्यप्रदेश के धार जिले हिम्मतगढ में 40 एकड़ जमीन मिली है। 20 जनवरी, बुधवार को सुबह 11 से 9 बजे तक आंदोलन के कार्यकर्ता व अधिकारियों ने मौके पर रहकर किया सीमांकन, दिलाया कब्जा। प्रभावितों को मिली इस जमीन पर गेहूँ व चने की फसल बोई हुई थी। इस फसल पर भी अब इनका ही अधिकार है। प्रभावितों को दी गई जमीन पर कोई विवादित स्थिति निर्मित न हो उसे देखते हुए यहां एक साल तक पुलिस चौकी स्थापित करने के आदेश भी शिकायत निवारण प्राधिकरण ने दिए है।

शिकायत निवारण प्राधिकरण (जीआरए) का आदेश:- नर्मदा बचाओं आंदोलन के साथ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे डूब प्रभावितों को जमीन के बदले जमीन देने का आदेश दिया । 20 जनवरी 2016 के रोज जमीन का सीमांकन जमीन देना व कब्जा दिलाना है। न.घा.वि.प्रा. राजस्व विभाग व पुलिसबल के साथ पहुंचेंगे सीमांकन के दौरान यहां थोडी देर तक विवादित स्थिति भी बनी, लेकिन बाद में मामला शांतिपूर्ण ढंग से निपटा।

इन्हें मिली जमीन:- .1 सरदिया पिता नानसिंग, नानसिंग पिता पातलू, भायला पिता नानसिंग निवासी ककराना, जानूबाई बेवा मकना, गणपत पिता मोती केलाबाई पिता मोती, भंगा पिता सुरला ममदिया पिता सुरला निवासी सुगट |

प्रभावितों के लंबे संघर्ष के आगे सरकार को भी झुकना पड़ रहा है। कानूनी लड़ाई लड़ रहे प्रभावितों को अपना अधिकार पाने के लिए कई आंदोलन, धरना प्रदर्शन और रैलियां तथा अनशन भी किये गये थे। वहीं इनके सैकडों केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे है। वर्षों की इस मेहनत का ही फल है कि ये अपने अधिकारों को पाने में सफल हो पाये है। सर्वोच्च अदालत व एक्शन प्लान, 1993 ट्रिब्यूनल का फैसला, 1979 के तहत पांच-पांच एकड़ जमीन सिंचाई की व्यवस्था करके उपलब्ध कराना है एवं 60 बटा 90 का घर-प्लाट व मकान का मुआवजा भी देना पडेगा।

जमीन के सीमांकन के दौरान, न.घा.वि.प्रा. के अधिकारी पुनर्वास अधिकारी कुक्षी/अलीराजपुर श्री आर के माहेश्वरी, अंबाराम पाटीदार व तहसीलदार परमार व नायब तहसीलदार सोलंकी, मकखा पटवारी थाना प्रभारी अनिल तिवारी अन्य कर्मचारी व नर्मदा बचाओं आंदोलन के कार्यकार्ता देवराम कनेरा, कैलाश अवास्या, कमला यादव, भागीरथ कंवचे हिरदाराम तोमर, मोहन पाटीदार, राहुल यादव, कैलाश गोस्वामी इत्यादि मौजूद थे।

भूमि अधिकार आंदोलन राजस्थान का सम्मलेन संपन्न

दिनांक :2016 . 02 .19

19 फ़रवरी को जयपुर में 70 से भी अधिक कार्यकर्ता राज्यभर से इकट्ठे हुए। दिल्ली से आये कॉमरेड बीजू कृष्णन अखिल भारतीय किसान सभा, संयुक्त सचिव का कहना था की सरकार ने जन दबाव के कारण भूमिअधिग्रहण अध्यादेश वापस लिया लेकिन सभी राज्यों को छूट दे दी है गई की वे अपने भूमि-अधिग्रहण का कानून बना सकते हैं और राजस्थान में तो भूमि अधिग्रहण का मसला विधान सभा संसदीय समिति के पास है और अगर यंहा जन आंदोलन नहीं हुआ तो सरकार किसी भी समय पारित कर लेगी। उनका यह भी कहना था की मोदी सरकार हर कीमत पर कॉर्पोरेट एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगी है । इसके लिए बैंकिंग व बीमा क्षेत्र, श्रम कानून में नकारत्मक बदलाव किये जा रहे है। पर्यावरण संबधित कानून में बेहताशा बदलाव, औद्योगिक नीति में बदलाव किये जा रहे है जिससे जल, जंगल, जमीन को कॉरपोरेट के हवाले कर देना चाहते हैं। उन्होंने आह्वान किया की हमें किसान पक्षधर नीतियों की मांग और भी जोरदार ढंग से करनी होगी इसलिए 24 फरवरी को दिल्ली में महारैली आयोजित की है।

बैठक में अखिल भारतीय किसान सभा के राजस्थान सचिव का कहना था की वसुंधरा सरकार की सिर्फ एक नीति है की कैसे किसानों की जमीन लेकर डीएमआईसी, एक्सप्रेस-वे इत्यादि बनाई जा रही है। यंहा तक की 2014 में सरकार ने कोशिश की कि एक भी किसान की आत्महत्या न दर्शाई जाये, जबकि 2014 में किसानों ने अनेकों कारणों से आत्महत्या की थी। कैलाश मीणा, मेहवा भराला अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति के लोगों ने राजस्थान में जमीनी संघर्ष में लोकतान्त्रिक अधिकार खो दिये हैं और नीम का थाना क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से खनन किया जा रहा है, जिससे दिल्ली व गुड़गांव में बड़े-बड़े भवन बन रहे हैं और अरावली पहाड़ एकदम ख़त्म हो रहा है। उन्होंने कहा की नीम का थाना की लड़ाई प्रदेश की अरावली पहाड़ बचाने की लड़ाई है।

इसी तरह राजस्थान के नवलगढ़ भूमि अधिग्रहण विरोधी समिति के प्रतिनिधि दीप सिंह दलित अधिकार नेटवर्क के तुलसीदास, अलवर के जाजोर पहाड़ी का डीआरडीओ कब्ज़ा, किशनगढ़ एयरपोर्ट अधिग्रहण विरोधी समिति इत्यादि से आये लोगों ने अपने संघर्षों की मांग रखी और कहा की वे जमीन लेने नहीं देंगे जितना भी आमादा सरकार हो। दलित आदिवासी व् घुमन्तु प्रतिनिधियों ने जमीन के बंटवारे की बात की और कहा की आज भी घुमन्तु समाज के लोगों के पास शमशान की भी भूमि नहीं है। दिल्ली से आये शबाना व रावत ने देशभर में जमीन के संघर्षो की बात की खासतौर पर डीएमआईसी जो, किसानों को बर्बाद करेगा। हमें कॉर्पोरेट खेती की ओर हमें धकेला जा रहा है। इसी तरह निर्माण मजदूर संगठन से हरकेश बुगालिया का कहना था की स्मार्ट सिटी तो गरीबो की मलिन बस्ती को सफाया करने की योजना है। यह भी बताया गया की 100 दिन की जवाबदेही यात्रा के दौरान हर गांव और ज़िले में ज़मीन के मुद्दे अहम रहे, या तो अधिग्रहण, या अतिक्रमण व सामुदायिक ज़मीनों पर हक़ के मुद्दे पर संघर्ष किया जा रहा था। इन मुद्दों पर विश्लेषणात्मक दृष्टि अगर डाली जाये तो स्पष्ट है कि दबंगों के साथ सरकार है। गरीब त्रस्त है।

यह तय हुआ की हर जिले में भूमि अधिकारों पर सम्मलेन होगा और विशेष रूप से खनन, डीएमआईसी, स्मार्ट सिटी, वन अधिकार व् दलितों और महिलाओं का, भूमि अधिकार पर विशेष कार्यशालाएं की जाएँगी।

अंत में यह प्रस्ताव लिया गया की जेएनयू में बोलने की आज़ादी व् विविध मत रखने के अधिकार पर मीडिया व पुलिस व प्रशासन का प्रहार एक तरीके से फासीवाद की आहट है और मोदी सरकार की विफलता पर ध्यान भटकाने के लिए रचा गया। राष्ट्रीयता पर हिंसात्मक व् उग्र रुख अपनाया जा रहा है। जेएनएसयू के अध्यक्ष कन्हैया की रिहाई की मांग रखी गई और उमर खालिद पर किये जा रहे बेवजह हमले की निंदा की गई ।

टपूकेडा होंडा में दोहराया होंडा 2005 का दमन

टपूकेडा राजस्थान स्थित होंडा मोटरसाइकिल प्लांट के मजदूरों का धैर्य 16 फरवरी को मैनेजमेंट के उकसावे पूर्ण कार्यवाही में टूट गया। हुआ ये कि होंडा मैनेजमेंट के मजदूरों ने 6 अगस्त 2015 को यूनियन बनाने की प्रक्रिया शुरू की। कंपनी में 450 स्थाई व 3000 के लगभग अस्थाई मजदूर काम करते हैं। प्रतिदिन 4500 बाईक-स्कूटर का उत्पादन होता है। स्थाई मजदूर की जहां लगभग 16,000 तनख्वाह है वहीं अस्थाई मजदूर की 8000। इसमें से 1000 रुपए हाजरी भत्ता जोकि एक छुटटी पर 600 रुपए कट जाता है तथा ज्यादा होने पर तनख्वाह में से पैसे काट लिए जाते हैं। तीन पाली में कम्पनी में काम होता है। रिलीवर ना आने पर जबरन ओवरटाइम पर रोका जाता है। ना रुकने पर मारपीट व गाली गलौच आम बात है। इस सब से तंग आकर मजदूरों ने अपनी यूनियन बनाने का तय किया। कम्पनी प्रबंधन ने यूनियन की प्रक्रिया का पता चलते ही मजदूरों का उत्पीड़न और तेज कर दिया। यूनियन के लिए अप्लाई करने के बाद ही कम्पनी प्रबन्धन ने मजदूरों के झूठे शपथ पत्र दाखिल करके वे जबरन यूनियन के सदस्य बनाए गए हैं, यूनियन पंजीकरण की प्रक्रिया पर स्टे ले लिया। इस कानूनी पचडे में मजदूरों को उलझाकर कम्पनी ने गुजरात में अपना नया प्लांट शुरू कर दिया।

15 फरवरी को गुजरात प्लांट का उद्घाटन था उसके अगले दिन ही टपूकेडा होंडा प्रबंधन ने मजदूरों को सबक सिखाने की योजना बना ली। 16 फरवरी को आम दिनों की तरह मजदूर काम पर गए और ए पाली की छुटटी के बाद कंपनी प्रबंधन के इशारे पर सिक्योरीटी गार्ड/बाउन्सर ने एक मजदूर को थप्पड मारा और गाली गलौच करने लगे। बी शिफ्ट को कंपनी के अन्दर प्रवेश नहीं करने दिया। कंपनी के षडयंत्र को भांपकर ए पाली के मजदूर कंपनी के अन्दर ही बैठ गए वहीं बी और सी शिफ्ट के मजदूर कंपनी के बाहर धरने पर बैठ गए। कंपनी प्रबंधन ने वार्ता का नाटक किया और अंन्धेरा होते ही 300 बाउन्सर व पुलिस ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। बुरी तरीके से मजदूरों को मारा पीटा गया। कई मजदूरों के सर व पांव पर गहरे जख्म आए और 307 डकैती जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 44 मजदूरों को जेल में डाल दिया। लाठीचार्ज के बाद मजदूरों में भगदड़ मच गयी। इस अप्रत्याशित हमले के लिए मजदूर तैयार नहीं थे लेकिन योजनाबद्ध प्रबंधन व पुलिस ने मजदूरों के घरों पर जा जाकर मारपीट की व गिरफ्तारियां कीं। लगभग 22 मजदूरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। अगले दिन मजदूरों ने टपूकेडा से सटे धारूहेडा, हरियाणा में बस स्टेण्ड के पास इकट्ठा होने की कोशिश की तो हरियाणा की देशभक्त खट्टर सरकार की पुलिस ने भी उन पर लाठीचार्ज कर 70 मजदूरों को थाने में हिरासत में ले लिया और रात को उनसे पांच-पांच हजार रुपए लेकर छोड़ दिया। जैसे ही होन्डा मोटरसाइकिल प्लांट मानेसर को टपूकेडा के मजदूरों के आन्दोलन का पता चला तो उन्होंने सांय की चाय का बहिष्कार कर मैनेजमेंट मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए होन्डा टपूकेडा के मजदूरों के आन्दोलन का समर्थन किया।

होंडा टपूकेडा के मजदूरों ने गुड़गांव की सभी यूनियनों से मदद की अपील की और इस पर चर्चा कर सभी यूनियनों व ट्रेड यूनियनों ने 13 सदस्यीय कमेटी का गठन कर निर्णय लिया कि होंडा के मजदूरों को होंडा मुख्यालय गुड़गांव पर धरना दिया जायेगा और लाठीचार्ज की निन्दनीय घटना के बारे में गुड़गांव के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। 19 फरवरी को हजारों की संख्या में होंडा के मजदूर व अन्य सभी कंपनियों के मजदूरों ने काफी आक्रामक सभा कर लगभग 9 किलोमीटर पदयात्रा कर मुख्यालय पर धरना दिया। खराब मौसम के चलते व बारिश में बिना किसी टैंट व कपडे के सभी मजदूर भूखे पेट नारेबाजी करते रहे। अगले दिन भी लगभग 5 बजे तक बिना खाना खाए सभी मजदूर जबरदस्त एकता व उत्साह का परिचय देते हुए धरने पर नारेबाजी करते रहे। उनके अनुशासन को देखकर तो आस-पास के लोग भी उनकी प्रशंसा किए बगैर रह ना सके। हरियाणा में जाट आरक्षण को देखते हुए व मुख्यालय पर प्रबंधन द्वारा 500 मीटर का एक तरफा स्टे आर्डर के कारण व गुडगांव में लगी धारा 144 को देखते हुए गुडगांव रेवाडी की संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने निर्णय लिया कि आगामी लडाई सभी के सहयोग से राजस्थान से लड़ी जायेगी।

टपूकेडा के मजदूर आन्दोलन से एक बार फिर से साबित हुआ है कि शासन-प्रशासन नंगे तौर पर पूंजीपतियों के साथ खड़ा है। ऐसे में मजदूर को भी अपनी लड़ाई शुरूआत से ही शासन व प्रबन्धन दोनो के विरुद्ध जुझारू तरीके से लड़नी होगी और व्यापक जनता के समर्थन हासिल करने के अलावा उनका कोई सहयोगी नहीं है। उन्हें सत्ताधारी पार्टियों व उनके नेताओं के भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि सत्ताधारी पार्टियां पूंजीपतियों की एजेंट हैं।

साभार : नागरिक

डाक्यूमेंट्री के माध्यम से कर रहे हैं किसानों को जागरूक, 5 साल से चल रहा भूमि विरोधी आंदोलन

राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित सीमेंट कंपनियों द्वारा पिछले पांच साल से भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान संघर्ष समिति किसानों को जागरूक करने के लिए रोज नए-नए तरीके अपना रही है। किसान सोशल मीडिया का भी सहारा ले रहे हैं। समिति आंदोलन को सफल बनाने में कुछ हद तक सफल भी रही है।

समिति ने अब उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ चल रहे आंदोलन पर एक डाक्यूमेंट्री फिल्म तैयार करवाई है। समिति के संयोजक कैप्टन दीपसिंह शेखावत ने बताया कि आधे घंटे की फिल्म के जरिए यह बताया गया है कि किसान किस तरह से परेशान हो रहे हैं। लोगों ने पर्यावरण, पानी, खेती, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, संस्कृति, इतनी बड़ी संख्या में पलायन का महिलाओं, बच्चों की शिक्षा, भाईचारा, आदि विषयों पर खुलकर अपने विचार प्रकट किए हैं। लोगों ने किसानों के संरक्षण पर भी अपने सुझाव दिए हैं। इस फिल्म को देखकर किसान जागरूक हो रहे हैं, फिल्म को कई गांव व ढाणियों में प्रदर्शित किया जा चुका है। 18 मार्च को भगतसिंह पुस्तकालय में भी किसान नेताओं व लोगों को फिल्म दिखाई गई। इसके अलावा बाइक रैली के जरिए भी युवाओं को आंदोलन में शामिल किया जा रहा है। यह रैली एक गांव से दूसरे गांव जा रही है। गांवों की चौपाल पर बच्चों की टोली अपनी मधुर आवाज में गीत सुनाकर लोगों को जागरूक करने में लगी है। बच्चों के जोश को देखकर युवा व बुजुर्ग भी आंदोलन सफल बनाने की चर्चा में जुट जाते हैं। किसानों ने भी यह मान लिया है कि उनको सरकार से कोई मदद नहीं मिलने वाली है, इसके कारण किसान अपनी रणनीति के तहत अन्य माध्यमों के जरिए लोगों को जोड़ने में लग गए हैं। भले ही धरने पर किसनों की भीड़ नजर नहीं आती, लेकिन गांवों के किसान इस आंदोलन से जुड़ने लगे हैं। उधर कंपनियों ने भी अपनी आस नहीं छोड़ी है। सरकार की ओर से मदद के इंतजार में है। कंपनियां किसानों से जमीन खरीदने में जुटी हुई हैं।

गांव वालों की कोई सुनने वाला नहीं : कब मिलेगा न्याय

राजस्थान के सीकर जिले की नीमकाथाना तहसील के टोडा गांव के लोग अपने चारागाह, शमशान, अपने गांव के रास्ते, संसाधन बचाने के लिये लगातार 185 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। गलत तथ्यों के आधार पर खनन-पटटे आंवटित करवा कर खनन के प्रयासों का लगातार विरोध जारी है।

गलत जानकारी पेश कर खनन पट्टे आंवटित करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध सरकार कार्यवाही करने के बजाय ग्रामीणों के विरूद्ध ही पुलिस मे कई मुकदमे दर्ज कर भय पैदा करने का प्रयास भी यह खनन माफिया गठजोड़ कर चुका है। ग्रामीणों का अपने चारागाह, शमशान, आम रास्ते, सड़क को बचाने का मजबूत इरादा है जिनके लिये कानून भी साथ है। नियम भी ग्रामीणों के पक्ष मे है। देश की सबसे बडी अदालत सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी ग्रामीणों की राय से इतफाक रखता है।

सिरसा नदी में न प्राण बचे और न प्राणी : औद्योगिक कचरे ने किया नदी को जहरीला

पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने स्वयं को विकसित औद्योगिक राज्य की श्रेणी में लाने के लिए अपनी पर्यावरणीय श्रेष्ठता को नजर अंदाज किया। इसका परिणाम यह हुआ है कि वहां का पूरा वातावरण जिनमें नदियां भी शामिल है भयानक रूप से प्रदूषित होती जा रही हैं। पेश है कुलभूषण उपमन्यु की रिपोर्ट जिसे हम सप्रेस से साभार साझा कर रहे हैं;

सिरसा नदी हरियाणा के पंचकुला जिले के कालका के पास के क्षेत्रों से निकल कर उत्तर-पश्चिम की ओर बहते हुए हिमाचल में प्रवेश करती है। बहती बरोटीवाला, नालागढ़ जो हिमाचल प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, से गुजरते हुए यह पंजाब में प्रवेश करती है और रोपड़ के पास चक-देहरा में सतलुज नदी में मिल जाती है। बाहरी शिवालिक क्षेत्र में बहने के कारण यह बहुविध पारिस्थितिकीय भूमिका निभाती है। शिवालिक क्षेत्र आमतौर पर पानी के अभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। एक सदानीरा नदी का इस क्षेत्र में होना ही अपने आप में प्रकृति की अद्भुत देन से कम नहीं है। सिंचाई, पेयजल, भूजल पुनर्भरण, जलीय जीवों के सुंदर आवास के अलावा इस नदी में किसी समय कई पनचक्कियां भी चलती थीं जहां सिंचाई की कुहलें नहीं पहुंचती थीं वहां लोगों ने नलकूप लगा कर सिंचाई की व्यवस्था कर ली थी।

प्रदेश के विकास के लिए औद्योगिकरण को बहुत जरूरी और रोजगार पैदा करने वाला माना जाता है। किन्तु यदि यह हमारे वातावरण, नदियों और भूजल को ही प्रदूषित कर दे तो इससे बहुत सा रोजगार छीना भी जाता है। रहने के हालात कठिन हो जाते हैं। बीमारियों की भरमार हो जाती है। टिकाऊ विकास की व्यवस्थाएं नष्ट हो जाती हैं। ऐसा विकास थोड़े समय का तमाशा बन कर रह जाता है। इसलिए औद्योगीकरण के विपरीत प्रभावों को कम करने के लिए राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो के माध्यम से मार्गदर्शिका जारी की जाती है। औद्योगिक वर्ग लाभ कमाने के लालच में कई बहुत जरूरी सावधानियों की जानबूझ कर अनदेखी कर जाता है। इस वजह से वायु प्रदूषण भी एक बड़ा खतरा बन कर उभरता है। प्रदूषित वायु के भी कुछ अंश बारिश में धुल कर नदियों सें, और जलश्रोतों में मिल जाते हैं और उन्हें भी प्रदूषित कर देते हैं। बी.बी.एन क्षेत्र भी इन विसंगतियों से अछूता नहीं है और इसका सबसे बड़ा शिकार सिरसा नदी हुई है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के चौहान और साथियों द्वारा किये गए अध्ययन और उसके बाद हुए अध्ययनों से कई महत्वपूर्ण बातें समाने आई है। पहले अध्ययन में जैव अनुश्रवण अध्ययन किया गया था। इसके अंतर्गत जलीय जैव विविधता का सूचिकरण करके नदी प्रदूषण स्तर का पता लगाया जाता है। इस अध्ययन में तीन क्षेत्रों– बहती से ऊपर का क्षेत्र जहां औद्योगिक कचरा नहीं पंहुचता है। जगातखाना जहां से औद्योगिक कचरा शुरू हो जाता है और धनौली जहां औद्योगिक कचरे वाले क्षेत्र को लांघ कर नदी पंजाब में प्रवेश करती है। इन तीन स्थलों का नमूना अध्ययन किया गया। इसमें पाया गया कि बहती के ऊपर वाले क्षेत्र से जगातखाना तक आते आते जैविक प्रदूषण, दो गुना हो जाता है। धनौली तक आते आते प्रदूषण का स्तर तीन गुना हो जाता है यानी खतरे के स्तर के ऊपर पंहुच जाता है। इसके कारण संवेदनशील जलीय जीव प्रजातियां लुप्त होती जाती हैं।

सिरसा नदी की सहायक खड्डे, बलद, चिकनी खड्ड,

छोटा काफ्ता नाला, पल्ला नाला, जटा नाला और संधोली खड्ड है। नई ,खड्डों का भी हाल औद्योगिक प्रदूषण के चलते खराब हो चुका है। बी.बी. एन क्षेत्र लगभग 3500 हैक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें लगभग 2063 उद्योग है इनमें से 176 लाल श्रेणी के, 779 संतरी श्रेणी के और 1108 हरी श्रेणी के हैं। यह वर्गीकरण इनकी प्रदूषण फैलाने की क्षमता के आधार पर किया गया है। लाल श्रेणी में थर्मल प्लांट, धागा उद्योग, स्टोन क्रशर, एल्युमीनियम स्मेल्टर, लेड-एसिड-बैटरी, और बायलर उद्योग आदि आते हैं। संतरी श्रेणी में ईट भटठा, नदी से रेत-बजरी-पत्थर आदि निकालने,ढांचागत निर्माण, और फार्मेसी आदि उद्योग रखे गए हैं। हालांकि प्रदूषण फैलाने में संतरी श्रेणी के उद्योगों का योगदान भी कम नहीं है। बी.बी.एन क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण प्रावधानों का उद्योगों द्वारा ठीक से पालन न करने के चलते ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे ''खतरनाक स्तर तक प्रदूषित'' क्षेत्रों की सूची में डाला है।

खतरनाक कचरे को यहां-वहां नदियों में डालना, प्रदूषित जल को खेतों व नदियों में छोड़ देना, अवैध खनन, आदि प्रमुख समस्याएं हैं। इनका सम्मिलित प्रभाव कृषि, पशुपालन, जलीय जैवविविधता,स्वास्थ्य, और स्वच्छता पर पड़ना स्वाभाविक ही है प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, पर्यावरणीय गाइड लाइन को लागू करने की सामर्थ्य, पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। नदी और उसकी सहायक खड्डों में प्रदूषित पानी छोड़ने के साथ कुछ उद्योगों द्वारा प्रदूषित जल को जमीन के भीतर इंजेक्ट करने की भी सूचनाएं हैं।

60 प्रतिशत उद्योगों में जल उपचार संयंत्र ही नहीं लगे हैं। बघेरी क्षेत्र में हवा में पारे, लेड, और केडमियम की मात्रा सुरक्षित स्तर से काफी ज्यादा है। बारिश में घुल कर पारा नदी जल और भूजल में पहुंच जाता है मछली के शरीर में पहुंच कर पारा, मिथाइल पारे में बदल जाता है। यह शरीर में मस्तिष्क, हद्य, फेफड़े, और गुर्दे को नुकसान पहुंचाता है और रोगरोधी व्यवस्था को भी खराब करता है। नदियों के किनारे एक्सपायर दवाइयों की और अन्य खतरनाक ठोस कचरे की डंपिंग आम बात है। यह "खतरनाक अपशिष्ट नियम 2006" का उल्लंघन है। केंधुवाल में एक सांझा प्रदूषित जल संशोधित संयंत्र स्थापित करने की बात है। कुल इकाइयां 2063 हैं। शेष का क्या होगा। सिरसा नदी का जल "ई" श्रेणी का पाया गया है। यह जल के घोषित उपयोगों में से किसी के योग्य नहीं है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम है कि मछली जिंदा नहीं रह सकती। ई-कोलाई की मात्रा इतनी ज्यादा है कि यह पीने योग्य नहीं है।

क्रशर उद्योग के लिए सिरसा नदी और उसकी सहायक खड्डे बुरी तरह से खनन का शिकार हो चुकी हैं। ज्यादातर खनन अवैध हैं। नदी खनन से प्राप्त रेत, बजरी, पत्थर का प्रयोग हिमाचल और सीमा से सटे पंजाब के क्रशरों में भी अवैध रूप से होता है। खनन माफिया से स्थानीय राजनीतिज्ञों के तार भी जुडे हो सकते हैं। इसीलिये उनके हौसले इस कदर बढ़े हुए हैं की कुछ समय पहले अवैध खनन पर छापा मारने वाले तहसीलदार पर ही तलवारों से हमला हो गया था। इन खड्डों का तल 3 से 12 मीटर तक गहरा हो गया है। इसी कारण किशनपुर-हरिरायपुर, भुद्द और सन्धोली विभागीय सिंचाई योजनायें असफल हो गई हैं। इससे 415 हैक्टेयर भूमि सिंचाई से वंचित हो गई है। भूजल 200 फुट तक नीचे चला गया है। वहां भी पानी प्रदूषित है। परिणामस्वरूप कृषि बर्बाद हो गई है, खेतों में काम करना कठिन है। चर्मरोगों और प्रदूषित जलजनित रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को समझा जाना चाहिए। परंतु इन सवालों को उठाने वालों को विकास विरोधी ठहराने के प्रयास किये जाते हैं। ताकि कोई बोलने का साहस न करे। किन्तु एक नदी को मरने से बचाना सबका सांझा हित है। अनुमान लगाएं कि जब जीवनदाई नदियां ही विषैली हो जांएगी तो जीवन कैसे चलेगा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के बराबर जरूरी मामला है।

उत्तराखंड

जिंदल, नैनिसार की जमीन और जन आक्रोश

उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा जिले के नैनिसार में जिंदल ने अप्रैल 2015 में समुदाय की भूमि हड़प ली । शुरू से ही स्थानीय लोग भूमि की लूट का विरोध कर रहे हैं। विरोध के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रस्तावित जिंदल के विद्यालय का भूमि पूजन किया जिससे नाराज स्थानीय लोगों ने पूजन के बाद शिला को उखाड़ कर फेंक दिया। तब से लेकर आज तक स्थानीय लोगों तथा आंदोलनकारियों पर पुलिस तरह-तरह से दमन उत्पीड़न कर रही है। इसी की एक कड़ी में जब उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के पी.सी.तिवाड़ी, ग्रामीण स्थानीय न्यायालय द्वारा विद्यालय के निर्माण कार्य पर लगाई रोक का फैसला लेकर निर्माण स्थल पर गए तो पुलिस ने उन्हें वहां फर्जी मुकदमे लगाकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिसिया दमन के विरोध में 8 फरवरी को अल्मोड़ा में एक विशाल जन रैली निकाली गई। पेश है रैली पर राजीव लोचन साह की टिप्पणी;

नैनिसार प्रकरण पर कल 8 फरवरी 2016 को अल्मोड़ा में हुई रैली अदभुत थी. 1994 के राज्य आन्दोलन के बाद अल्मोड़ा में ऐसा जन सैलाब कभी नहीं उमड़ा. राज्य आन्दोलन के बाद हताश होकर घर बैठ गए अनेक पुराने दिग्गज इस रैली में थे तो उस युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि भी, जिसे हम अराजनैतिक मानते आये हैं. इस परिघटना में राज्य बनने के बाद पहली बार एक नए आन्दोलन की आहट सुनाई दे रही है. अब यह नेतृत्व के हाथ में है कि वह धैर्य, विवेक और समझदारी दिखा कर इस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करे, इसे स्खलित न होने दे.

दिक्कत अख़बारों की है. हिंदुस्तान और जागरण के हल्द्वानी संस्करणों ने इस खबर को पहले पेज पर छपा है तो अमर उजाला ने जनांदोलनों के प्रति अपनी वितृष्णा की परंपरा को बनाये हुए रख बिलकुल ही लापता कर दिया है.

यानी उत्तराखंड के सबसे अधिक प्रसार वाले अखबार के सिर्फ अल्मोड़ा के पाठक, जो शायद वैसे ही इस रैली की गूँज सुन चुके होंगे, इस खबर को पढ़ेंगे. यानी इन तीन अख़बारों के पाठकों के सिर्फ 25 प्रतिशत को ही नैनिसार प्रकरण की जानकारी होगी. इस तथ्य को फिलवक्त देहरादून में रह रहे मेरे भतीजे के फोन ने सही साबित किया, जब हिन्दुस्तान में कल की रैली की खबर पढ़ कर उसने पूछा कि यह नैनिसार मामला है क्या ?

तब इस आन्दोलन का विस्तार कैसे होगा ? राज्य आन्दोलन में इसका बिलकुल उल्टा था. मीडिया आज का एक बटे दस था, मगर पूरी तरह आन्दोलन के साथ था. इस राज्य को बर्बाद करने में जितनी बड़ी भूमिका बेईमान राजनेताओं की है, उससे कम लालची मीडिया के नहीं.

नैनिसार आन्दोलन को इन्हीं सीमाओं के साथ आगे बढ़ाना होगा.

उत्तराखण्ड जन आंदोलनों की धरती है और इस परंपरा का निर्वाह निरंतर जारी है

उत्तराखण्ड बनने के साथ ही जल-जंगल-जमीन की लूट का खेल भी प्रदेश में शुरू हो गया था. राज्य की प्रगतिशील, संघर्षशील, आंदोलनकारी शक्तियां इस लूट के विरोध में सघर्षरत रही है चाहे वह वीरपुर-लच्छी में अवैध स्टोन-क्रशर का आंदोलन हो या हाल ही में शुरू हुआ अल्मोड़ा जिले के नैनीसार (द्वारसो) में जिंदल को जमीन दिए जाने का; पूरे राज्य में जमीन की लूट का विरोध किया जा रहा है, ग्रामीणों द्वारा बनाई गई 'नैनीसार बचाओ संघर्ष समिति' ने संघर्ष शुरू कर दिया है. उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के पी.सी.तिवारी और 15 ग्रामीण अभी जमानत पर है. पेश है उत्तराखण्ड के जमीनी संघर्षों पर सुरेश नौटियाल, केंद्रीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की रिपोर्ट:

मित्रों !

पहले वीरपुर-लच्छी में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के प्रधान महासचिव प्रभात ध्यानी और नागरिक समाचार पत्र के संपादक मुनीष कुमार अग्रवाल ने वीरपुर-लच्छी ग्राम की जनता की सहायता से वहां स्टोन-क्रशर बंद करवाए. फिर, हिमालय बचाओ आन्दोलन के समीर रतूड़ी ने मलेथा ग्राम की जनता के सहयोग से स्टोन-क्रशर बंद करवाए. और अब उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी के नेतृत्व में नैनीसार आन्दोलन चल रहा है, जिसमें गांव की जनता और विभिन्न संगठनों का साथ है. ज्ञातव्य है कि वहां गैर-कानूनी ढंग से जिंदल कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार ने जमीन दी है.

इस मामले में पीसी तिवारी और परिवर्तन पार्टी के महिला संगठन की केंद्रीय सह-संयोजिका रेखा धस्माना और डीडा-द्वारसौं गाँव के १२ लोग जिंदल और हरीश रावत के कहने पर गिरफ्तार किये गए थे.

दस ग्रामीण तो छोड़ दिए गए लेकिन उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के इन दोनों नेताओं पर एससी/एसटी एक्ट में झूठा और फर्जी मुकदमा लगा दिया गया यह जाने बिना कि परिवर्तन पार्टी तमाम वंचित समाजों की पार्टी है इसके नेता इन वर्गों के सदैव लड़ाई लड़ते रहे हैं. खैर, यह तो बस हमारे नेताओं को परेशान करने की कवायद भर है. हमारे नेता हार मानने वाले नहीं हैं. आन्दोलन चलता रहेगा. नैनीसार आन्दोलन पूरे राज्य के जल-जंगल-जमीन और जन को बचाने की लड़ाई है. अब यह देहरादून से लेकर पौड़ी जनपद के पोखड़ा और बागेश्वर जनपद तक पहुंचेगी जहां खड़िया खनन माफिया के खिलाफ आन्दोलन चल रहा है. पोखड़ा में भी नैनीसार की तरह पूंजीपति को विश्वविद्यालय बनाने के लिए हरीश रावत सरकार द्वारा जमीन दी गयी है.

बहुत अच्छे हरीश! सरकारी स्कूलों को बंद करो और पूंजीपतियों के स्कूल खोलो!

वाह रे धरती पुत्र, तू तो उत्तराखंड की धरती का सौदागर निकला!

बड़ा आया यह कहने वाला कि खाता न बही, जो हरीश कहे वही सही! अरे! यह बात तो सीताराम केसरी के लिए कही जाती थी.

पर सुन लो मुख्यमंत्री, तुम हमेशा इस पद पर नहीं रहोगे! जनता का राज आयेगा और तब तुम्हारा क्या होगा?

और हाँ, अब तो उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी और नैनीसार बचाओ संघर्ष समिति ने उक्रांद, आम आदमी पार्टी, स्वराज अभियान, उत्तराखंड महिला मंच और विभिन्न जनसंगठनों को मिलाकर संयुक्त संघर्ष समिति बना ली है!

देखते हैं कितना जोर है जुल्म में तेरे!

(सुरेश नौटियाल, केंद्रीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी)

पी.सी. तिवारी का हरीश रावत को जेल से खुला पत्र

"यदि वक्त मिला और आपके संरक्षण में पल रहे जिंदल और उसके गुण्डों से मैं और मेरा परिवार सुरक्षित रहा तो जरूर मैं जनता के समक्ष आपसे खुली बहस करने को तैयार हूँ और आप मेरे इस निमंत्रण को स्वीकारें, ताकि आपके विचार और अनुभवों से उत्तराखण्ड की जनता और मैं कुछ सीख सकें। बुरा न मानें, यह लोकतंत्र हैं। आपके लाख जुल्म हों, मैं तो अपनी बात कहूंगा।" जनपथ से साभार पी.सी. तिवारी का हरीश रावत को जेल से खुला पत्र;

सेवा में,
माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी
उत्तराखण्ड सरकार,
देहरादून

माननीय मुख्यमंत्री जी,

एक स्थानीय चैनल ईटीवी पर कल रात व आज सुबह पुनः नैनीसार पर आपका विस्तृत पक्ष सुनने का मौका मिला। आपकी इस मामले में चुप्पी टूटने ये यह साबित हुआ कि उत्तराखण्ड में संघर्षरत जनता की आवाज आपकी पार्टी की सियासी सेहत को नुकसान पहुंचाने लगी है।
लेकिन आपका वक्तव्य ध्यान से सुनने और मनन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आपके वक्तव्य में सच्चाई का नितांत अभाव था और एक बार फिर अपनी गरदन बचाने के लिए आप नैनीसार के ग्रामीणों की दुहाई देकर पूरे उत्तराखण्ड व देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता इस बात को कितना समझती है, इसके लिए थोड़ा वक्त का इंतजार करना पड़ेगा पर आपको अपने छात्र व सामाजिक जीवन से मैंने जितना जाना समझा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इतने बड़े संवैधानिक व जिम्मेदारी वाले पद पर पहुंचने के बाद भी आपकी फितरत नहीं बदली। इसे मैं उत्तराखण्ड का दुर्भाग्य ही कहूंगा। आप भी कहें न कहें इस सच्चाई को मन ही मन आप भी जरूर स्वीकारेंगे।
रावत जी, आपने अपने पत्र में जिस वैचारिक भिन्नता बात कही है , वह सही है। आप यह भी जानते हैं कि आपका विचार हमसे अकसर मेल नहीं खाता है तो भी हम अपने विचारों और संकल्पों पर दृढ़ता से कायम रहने वाले लोग हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके फेंके चारे को खाकर कुछ लोगों की भांति हम भी गरीब, भूमिहीन, दलित को अपने पक्ष में गुमराह करने का माध्यम बने होते और आपकी कृपा व इशारे से जिंदल ग्रुप के गुण्डो द्वारा खुद मारपीट और जानलेवा हमला कर अनुसूचित जाति जनजाति के लगाए गए झूठे मुकदमे में जेल में नहीं होते।
रावत जी, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर का छात्रसंघ अध्यक्ष रहते हुए हमने अपने संस्थान के एक सफाईकर्मी श्री नन्हे लाल वाल्मीकि से 1978 के छात्रसंघ समारोह का उद्घाटन कराया था। लेकिन इससे आपको क्या, आपके लिए तो दलित और आदिवासी मात्र वोट बैंक हैं और उसे पाने लिए आप हर स्तर पर तिकड़म करते हैं। शराब, पैसा बांटकर लोकतंत्र का हनन करते हैं। क्या मैं कुछ अधिक कड़वी सच्चाई कह गया? लेकिन उत्तराखण्ड आंदोलन को दलित विरोधी करार देने वाले आपके दलित नेता आज उन दलित भूमिहीनों को भूल गए हैं जिनके पक्ष की आवाज हम आज भी लगातार उठाए हुए हैं। ऐसे नेता प्रदेश में आपदा प्रभावित, दलितों, भूमिहीनों के हक जमीन को जिंदल व अन्य पूंजीपतियों को कौड़ियों के भाव अवैध ढंग से देने के मामले में आज भी मौन हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी, नैनीसार का लेकर स्थानीय चैनल ईटीवी पर आपने जो कहा वह तथ्यात्मक रूप से भी गलत है। आज जानते हैं या नहीं, अपनी आदत के अनुसार आप जानबूझ कर अनजान बने रहना चाहते हैं। आप जानते हैं कि यह सच है कि स्थानीय डीडा गांव के लोग उनके नैनीसार तोक की जमीन जिंदल को दिए जाने के खिलाफ 25 सितम्बर 2015 से ही आक्रोशित हैं। आपकी शह पर वहां तभी से भारी मशीनें, अवैध कटान का उपयोग कर जिंदल के गुण्डों ने कब्जा कर दिया था। जिस ग्राम प्रधान की सहमति का आप टीवी में जिक्र कर रहे थे उसके इस कृत्य के लिए ग्रामीण उसका ग्राम सभा में बहिष्कार कर चुके हैं। इस बाबत ग्रामीणों ने सूचना

अधिकार से प्रक्रिया को जानना चाहा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि ग्राम प्रधान ने गलत ढंग से ग्रामीणों को गुमराह किया। इस बाबत ग्रामीण जिलाधिकारी को अनेकों बार ज्ञापन भी दे चुके है तथा तभी से लगातार आंदोलन कर इस पूरे मामले की जांच की मांग करते आ रहे हैं। लेकिन शासन-प्रशासन ने इसे संज्ञान में नहीं लिया। अब यह मामला अदालत में है। लोकतंत्र में क्या आप इसे ग्रामीणों की सहमति कहेंगे? डीडा के ग्रामीण राज्य स्थापना दिवस से मेरे जेल जाने तक क्रमिक धरना और भूख हड़ताल कर रहे थे। क्या यही जिंदल को जमीन देने की सहमति हैं। 22 अक्टूबर को जब बिना लीज पट्टा निर्गत किए आप भाजपा सांसद मनोज तिवारी को विशिष्ट अतिथि बनाकर वहां अपने होनहार पुत्र के साथ कथित इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे, तो भी ग्रामीणों को प्रबल विरोध आपको नहीं दिखा। तब भी आपकी पुलिस के हाथों पिटती ग्रामीण महिलाएं और क्षेत्र के लोग क्या जिंदल को जमीन देने के समर्थन में थे?

रावत जी, मुझे आश्चर्य होता है कि, एक जिम्मेदार पद पर विराजमान होते हुए आप इतने भोले कैसे बन जाते हैं। यहां मैं आपको याद दिला दूं कि आपने 28 नवम्बर को मीडिया को सार्वजनिक बयान देकर कहा था कि यदि ग्रामीण चाहेंगे तो जमीन सरकार वापस ले लेगी लेकिन दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आपने इस दिशा में कोई निर्णय नहीं लिया। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसम्बर को नैनीसार बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले डीडा के ग्रामीणों ने हर परिवार के व्यक्ति के हस्ताक्षरों से एक ज्ञापन जिलाधिकारी के द्वारा आपको भेजा जिसमें इस भूमि आवंटन को खत्म करने की मांग थी। लोकतंत्र में इसे भी क्या लोगों की सहमति कहेंगे? आपकी शह पर बिना लीज पट्टा निर्गत किए वहां चल रहे निर्माण कार्य व नियम विरूद्ध भारी तार बाड़, ग्रामीणों के रास्ते, पानी पर कब्जा, वहां बुरांस, काफल के पेड़ों का दोहन देखकर हर उत्तराखण्डी को आक्रोश आएगा। वहां सिविल जज अल्मोड़ा सीनियर डिविजन के स्थगन आदेश के बाद भी आपकी सरकार उस अवैध निर्माण को नहीं रोक पा रही है। ऐसे में आप मुझ जैसे निरीह उत्तराखण्डी पर, जिसे आपकी शह और इशारे पर जिंदल के अज्ञात गुण्डों व कथित अंगरक्षकों द्वारा मारपीट कर अपमानित किया जा रहा है और आरोप है कि मैं अपने विचारों का आप पर थोप रहा हूं। क्या मेरी ऐसी हैसियत है?

जब 26 जनवरी को नैनीसार में आपके प्रशासन के अनेक स्थानों पर रोकने के बाद भी वहां पहुंची 400 के आसपास जनता के समक्ष वहां एक स्चतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, तो आपके सिपहसालारों और जिंदल के दबंगों ने उस झण्डे को वहां से उतारकर फेंक दिया। रावत जी क्या आप चाहते हैं कि नैनीसार को लेकर जिस तरह पूरे प्रदेश व देश में सामाजिक कार्यकर्ता व राजनीतिक कार्यकर्ता संघर्ष में उतरकर उसका विरोध कर रहे हैं, उन सब पर आपकी कोई समझ नहीं है, कृपया इसे स्पष्ट करने की कृपा करें।

मुख्यमंत्री जी, जो कुछ आप टीवी पर बोंल रहे थे, स्थिति उसके विपरीत है। आपने भूमि की जांच हेतु स्वयं वरिष्ठतम अधिकारी राधा रतूड़ी व शैले श बगौली की कमेटी तीन नवम्बर 2015 को गैरसैंण में घोषित की थी।यदि आप अपने निर्णय पर दृढ़ थे तो फिर दिखाने के लिए वह कमेटी क्यों बनाई,?और इस कमेटी ने अब तक क्या किया? यदि सब कुछ ठीक है तो आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस मामले में जाॅंच कमेटी क्यों घोषित कर रहे हैं? रावत जी, सुना तो यह भी जा रहा है कि आपने पता नहीं किन कारणों से भूमि आवंटन की यह विवादास्पद पत्रावली अपने वरिष्ठतम सहयोगी राजस्व मंत्री श्री यशपाल आर्य को भी नहीं भेजी। तब अपने विचारों व निर्णयों को आप थोप रहे हैं या सच्चाई यह है कि सत्ता का दुरूपयोग करे हुए आप अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और राज्य के हितों से खिलवाड़ कर रहे हैं, यह जानते हुए कि इसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा।

जहां तक आपके द्वारा वैकल्पिक विकास मॉडल के सुझावों का मामला है, तो क्या आपने इसके लिए कभी रायशुमारी की? क्या आपकी सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य की लड़ाई में शामिल हम जैसे सिपाहियों से इस मामले में संवाद शुरू किया? जबकि आप जानते हैं कि पिछले 4 दशकों से हम लोग इस राज्य में तमाम मुददों पर लड़ रहे हैं फिर ऐसे तोहमत आप हमपर कैसे लगा सकते हैं?

मुख्यमंत्री जी यदि आपको राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य की इतनी ही चिंता है तो इसे व्यापार क्यों बना रहे हैं? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? फिर क्यों स्वास्थ्य व शिक्षा के कारण राज्य में पलायन बढ़ रहा है? सरकारी चिकित्सालयों व स्कूलों की दुर्दशा आप जानते हैं। आप इसमें सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय करते? सरकार का काम है कि हर नागरिक को समान और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा व स्वास्थ्य दे । हम स्वयं इस कार्य में आपका हर स्तर पर सहयोग करने को तैयार है, लेकिन आप हैं कि लगातार बड़े-बड़े मुनाफाखोर निजी स्कूलों के उद्घाटन

समारोहों में ही नजर आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी, सोशल मीडिया में आपको जमीनी नेता के स्थान पर जमीन का नेता कह कर स्वयं आपके अपने व्यंग्य करने लगे हैं पर आपकी कार्यप्रणाली को देखकर ऐसा लगता है कि आप राज्य की सवा करोड़ जनता की भावना, सोच, विचार से नहीं वरन अपनी सोच और विवेक पर ही भरोसा करते हैं। ऐसे में तमाम संस्थाओं का क्या महत्व है? इसके बावजूद नैनीसार को लेकर मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ। यदि आप उचित समझें तो जेएनयू की तर्ज पर जो आवासीय विश्वविद्यालय आप अपने जन्मदिन पर हर जिले में खोलने की घोषणा कर चुके हैं, उसे नानीसार में खोलने की घोषणा करें। लेकिन जिंदल के हितों के सामने शायद आपको मेरा यह सुझाव पसंद न आए।
रावत जी, आप बार-बार इस कथित अंतरराष्ट्रीय स्कूल से रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अभी तक हमें सूचना अधिकार से मिले सरकारी दस्तावेजों में इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला। स्पष्ट है यह सब जुबानी जमा खर्च है। यदि आप इस पर सोच रहे हैं तो यह जनता का दबाव नहीं है जिसमें आप अपने तरकश में कोई भी तीर रख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि केवल पांच माह में आपकी सरकार ने जमीन आवंटन करने का जो शासनादश जारी किया उसमें रोजगार भर्ती की क्या व्यवस्था है, गांव के किसानों के बच्चों की पढ़ाई की क्या व्यवस्था है। यदि नहीं, तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जैसे गरिमापूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को सदैव जिम्मेदारी से सच बोलना चाहिए। अन्यथा इस पद का भी अवमूल्यन होने लगता है।
खैर, शायद मेरा पत्र लंबा होने लगा है। यदि वक्त मिला और आपके संरक्षण में पल रहे जिंदल और उसके गुण्डों से मैं और मेरा परिवार सुरक्षित रहा तो जरूर मैं जनता के समक्ष आपसे खुली बहस करने को तैयार हूँ और आप मेरे इस निमंत्रण को स्वीकारें, ताकि आपके विचार और अनुभवों से उत्तराखण्ड की जनता और मैं कुछ सीख सकें। बुरा न मानें, यह लोकतंत्र हैं। आपके लाख जुल्म हों, मैं तो अपनी बात कहूंगा।

पी.सी. तिवारी
केंद्रीय अध्यक्ष, उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी
जिला कारागार अल्मोड़ा
29 जनवरी, 2016
संपर्क- 9412092159

संघर्ष संवाद देश में चल रहे आन्दोलनों की सूचनाएं, उनके लिए उपयोगी जानकारी एवं विश्लेषण मुहैया कराने वाली एक लोकप्रिय पत्रिका साबित हुई है। इसके वेब-संस्करण (sangharshsamvad.org) की भी शुरूआत की गयी है जिसमें आप सबका स्वागत है।

आपसे अनुरोध है कि आप अपने या अपने इलाके में चल रहे जनसंघर्षों की रिपोर्ट संघर्ष संवाद से साझा करें ताकि दूसरे आन्दोलनों के साथियों को भी आपके आंदोलन के बारे में जानकारियाँ मिलती रहे। एक दूसरे के संघर्षों से सीखना और संवाद कायम करना आज के दौर में जनांदोलनों को एक सफल मुकाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी है।

आप अपने जन संघर्षों के बारे में जानकारी sangharshsamvad@gmail.com पर ईमेल द्वारा दे सकते हैं अथवा निम्न पते पर डाक द्वारा भी भेज सकते हैं।

संघर्ष संवाद

ए-124/6, दूसरी मंजिल, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016

फोन/फैक्सः 011-26968121/26858940

ईमेलः sangharshsamvad@gmail.com

www.sangharshsamvad.org